

448
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 111/2025

IN THE MATTER OF:

DILIP KUMAR APPLICANT

Versus

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS
AND CLIMATE CHANGE & ORS RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Kaushambi in compliance of order dated 26.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure No. RA 1 (Colly.): -</u> A copy of the Government Order dated 14.08.2017, 20.08.2019 and 09.10.2019	
3.	<u>Annexure No. RA 2: -</u> A copy of the Letter of Intent issued in favor of Shri Kunwar Dinesh Singh (Respondent No. 8)	
4.	<u>Annexure RA 3: -</u> A copy of the mining lease issued in	

449

	favour of Shri Kunwar Dinesh Singh (Respondent No. 8)	
	<u>Annexure No. RA 4: -</u> A copy of the Replenishment Study Report 2023 duly submitted to SEIAA.	

DATED: - 11.03.2026

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

450
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 111/2025



IN THE MATTER OF:

DILIP KUMAR

APPLICANT

Versus

MINISTRY OF ENVIROMENT, FORESTS
AND CLIMATE CHANGE & ORS

RESPONDENT(S)

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE KAUSHAMBI
IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.09.2025 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 6 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:



I, Dr. Amit Pal aged about 35 years, S/o shri Amarjit Pal, presently posted as District Magistrate- District Kaushambi, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned officer of the answering Respondent No. 6 and **am duly competent** to swear the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made In the Original

Amit

451
Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present additional affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed thereof.



4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Ghazipur, since 8 month and is swearing this affidavit in official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 26.09.2025 was pleased to issue the following directions: -


"4.....Mr. Ankit Verma, Advocate accepts notice on behalf of the Respondent No. 2, 3, 6 & 7 and seeks four weeks' time to file the reply. Let a copy of the amended OA along with the enclosures be supplied by the counsel for the applicant to the counsel for the State of Uttar Pradesh within three working days....."

6. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 26.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.

7. That the present Original Application has been filed by the Applicant herein praying for following reliefs: -

a. Pass an order setting aside District Survey Report dated 08.11.2024, as contained in Annexure No.6 to the Original Application.

b. Pass an order directing the Respondent No.6 to not issue any advertisement for grant of mining lease/permits in pursuance of the said District survey Report dated 08.11.2024.



c. Pass an order directing the Respondent No.6 to take action against the respondent no.8 for carrying out mining without issuance of Environmental Clearance.

d. Pass any other orders as the Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the instant case."

8. That at the outset it is submitted that the aforesaid Original Application filed by the applicant seeking quashing of the District Survey Report dated 08.11.2024 of District Kaushambi, is predicated upon baseless, misleading and erroneous assertions. The Original Application filed by the Applicant is devoid of merit, not maintainable in law, thus liable to be dismissed.

9. That the instant Original Application has been filed alleging that the DSR of District Kaushambi which has been approved is incomplete because there exists no proper replenishment study. The very basis of the said averments/allegations is

Amish

another averment that EAC and SEIAA have given conditional approvals to the DSRs. The OA terms the approvals conditional on the fact that in the minutes of 828th meeting, SEIAA has laid down a condition, which is reproduced hereunder:

"Replenishment study on the basis of which the mineral availability is assessed should be uploaded on websites of District and Mining Department and submitted to SEIAA along with methodology adopted for study and details like geo-coordinates etc. of study points.



The District shall prepare a schedule for conducting replenishment study annually. This study should be done by a reputed Central or State Govt. institute and should be uploaded on the websites of District, Geology and Mining Department and submitted to SEIAA on its website. Quantity mined and auctioned shall be strictly based on replenishment study. District administration as well as Mining Department will follow all norms and procedure to ensure no illegal mining takes place."

10. It is submitted that the very foundation of the Original Application is based upon an erroneous interpretation of the applicable guidelines. The allegation that the District Survey Report has been prepared without conducting a replenishment study is **factually incorrect and legally**

Amish

untenable, inasmuch as the replenishment study has in fact been conducted strictly in accordance with Appendix-X of the notifications dated 15.01.2016 and 25.07.2018 as well as the provisions contained in the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020.

11. That the Appendix-X of the 15.01.2016 and 25.07.2018 notification emphasizes the importance of DSR. It states that the main objectives of the District Survey Report are to ensure.

i. Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed;

ii. Identification of areas of erosion

iii. proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited

iv. calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The achievement of the abovementioned objectives is the primary role that the DSR must serve, as a guiding reference document, in the process to grant the Environmental Clearances for minor minerals.

12. That further, in the EMGSM-2020, point 4.1 & 4.1.1 provide for preparation of DSR. It inter-alia state that the

Amit

format of the DSR should be in conformity with the format given in Annexure I to Annexure VII of the EMGSM-2020.

These annexures are:

Annexure -I: Details of Sand/M-Sand sources

Annexure-II: List of Potential Mining Leases (existing & proposed)

Annexure-III: Cluster and Contiguous Cluster details

Annexure-IV: Transportation Routes for individual leases and lease in Cluster

Annexure-V: Final list of Potential Mining Leases (existing & proposed)

Annexure-VI: Final list of Cluster and Contiguous Cluster

Annexure-VII: Final Transportation Routes for individual leases and lease in Cluster

Annexure-VIII: Identification of New Mining Lease areas in the District

13. That the DSR should essentially fulfil the 4 objectives which have been mentioned above and at the same time should confirm, in format and content thereof, with the tables given in Annexure-I to Annexure-VIII.

14. That it is reiterated that this set of data are interdependent and can only be analysed and presented in the DSR after necessarily conducting survey of the following:



Ant

- i. Adequate mineral volume availability.
- ii. Distance of the lease from different infrastructural features.
- iii. **Resource estimation / replenishment potential.**
- iv. The probability or possibility of cluster formation.

15. That furthermore, point 5.0 of the EMGSM-2020 provides for replenishment study and 5.1 and 5.2 provides for Generic Structure of Replenishment Study and Methodology for Replenishment Study respectively. In 5.2 it states that a *"simulation model is used with basic data generated from the field in the pre-study and post-study period (preferably pre-monsoon and post-monsoon) to estimate the volume of replenished material."* Thus, it must be noted that pre-monsoon and post-monsoon are the preferred study period, which implies that they are not the mandatory study period.

16. That the above mentioned relevant parts of notifications and EMGSM-2020 clearly implies that each lease being proposed for mineral extraction in the DSR should be tested and illustrated accordingly in the DSR to achieve the said objectives and to confirm the given format.

17. That in compliance with Government Order No. 1659/86-2023 dated 17.05.2023, issued in furtherance of



[Handwritten signature]

the Sustainable Sand Mining Management Guidelines and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, directions were promulgated for undertaking Updation/Modification of the District Survey Report (DSR) concerning existing as well as newly Identified mining areas within the District, and for conducting Replenishment Studies in respect of riverbed mineral deposits.



18. That in terms of the aforesaid Government Order, the Survey Report earlier prepared with respect to minor mineral areas in the District is required to be updated/modified at intervals of five years. Furthermore, Replenishment Studies are mandated to be conducted in relation to riverbed deposits of sand (balu), morrum, bajri, and boulder to scientifically assess sustainable extractable quantities.

19. That pursuant to the said Government Order dated 17.05.2023, the Deponent, vide Office Memorandum No. 1946/Mining Assistant dated 07.05.2024, constituted a five-member Sub-Divisional Committee under the chairmanship of the Additional District Magistrate (Finance/Revenue) for the purpose of undertaking Updation/Modification of the District Survey Report and conducting Replenishment Studies in accordance with the Government Orders and guidelines issued from time to time.

[Handwritten signature]

20. That in compliance thereof, the Sub-Divisional Committee conducted inspection and examination of 42 existing mining areas as well as newly identified areas within the District and submitted its detailed report. In the said inspection report, the committee determined the mineable quantity, Gata numbers, Block numbers, and geo-coordinates pertaining to each of the 42 mining areas.



That furthermore, the committee has thoroughly evaluated the environmental and ecological impact of mining activities within the identified areas, ensuring compliance with sustainable mining practices and adherence to environmental conservation norms. Special attention has been given to the replenishment capacity of sand mining sites, which have been advertised, so as to maintain ecological balance and mitigate adverse effects on the riverine ecosystem.

22. That additionally, the stakeholder consultations, including inputs from local governing bodies, environmental experts, and affected communities, have been incorporated to enhance the transparency and efficiency of the District Survey Report (DSR). The committee has also considered the necessity of regular monitoring mechanisms and enforcement measures to prevent illegal mining and ensure strict adherence to environmental policies.

Amish

23. That to examine the proposals received from Districts regarding modifications or incorporations in the District Survey Reports, an interdepartmental committee was also constituted at the Directorate level. This committee comprised of officials from the Revenue Department, Environment Department, Forest Department, Irrigation Department, and Mining Departments of the State Government.



- That in furtherance of Government Order dated 12.02.2023 and Directorate Letter No. 2182/M-228/Mining Policy-2017 (DSR) dated 12.02.2024, a sitting of the Sub-Divisional Committee was convened on 06.06.2024 under the chairmanship of the Additional District Magistrate (Finance/Revenue) for approval of the Draft District Survey Report. The Committee accorded approval to the Draft DSR and resolved that the same be uploaded on the District website (NIC) for inviting objections and suggestions from the general public.

25. That accordingly, vide office letter dated 07.06.2024 addressed to the District Informatics Officer, National Informatics Centre (NIC), Kaushambi, the Draft DSR was directed to be uploaded on the official District website for a period of 30 days to invite objections/suggestions from

[Handwritten signature]

460
stakeholders and the public at large, however, no objection or suggestion was received within the stipulated period.

26. That thereafter, the members of the Sub-Divisional Committee were apprised in detail regarding the total mining areas reflected in the District Survey Report, including areas where Letters of Intent (LOI) had been issued and mining operations were either ongoing or under process. The Committee, after due deliberation, granted District-level approval to the Draft District Survey Report and forwarded the same for appraisal and recommendation by the State Expert Appraisal Committee (SEAC).



27. That upon evaluation and recommendation by SEAC, the Draft District Survey Report was approved by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 08.11.2024. Consequent thereto, vide Office Letter No. 2845/Mining Assistant dated 18.12.2024, the District Informatics Officer, National Informatics Centre (NIC), Kaushambi, was directed to upload the approved District Survey Report on the District website for public access for a period of five years.

28. That subsequently, out of the 42 mining areas identified in the District, necessary proceedings were undertaken, in accordance with law, for settlement of vacant mining areas through the prescribed process of advertisement. It is

submitted that the entire process relating to advertisement, issuance of Letter of Intent (LOI), and execution of lease deeds for settlement of vacant mining areas is carried out strictly in accordance with the provisions of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021.



29. That in terms of Government Orders dated 14.08.2017 and 20.08.2019, and in accordance with Chapter IV of the U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, read with Government Order dated 09.10.2019, action was initiated for Morrum settlement of vacant mining areas in the District through the e-tender-cum-e-auction system. A copy of the Government Order dated 14.08.2017, 20.08.2019 and 09.10.2019 are being collectively annexed as **Annexure No. RA 1** to this affidavit.

30. That after completion of all procedural formalities, MSTC Limited conducted the e-auction in respect of the mining area situated in Village Malhipur, Tehsil Chayal, District Kaushambi, along the Yamuna River, comprising Gata Nos. 424, 426 to 430, 437 to 441, 443, and 445 to 450, Block Nos. 10/3 to 10/6, admeasuring 20.00 hectares. Shri Kunwar Dinesh Singh, son of Shri Gulab Singh, resident of Ward No. 1, Nagar Panchayat Shankargarh, Tehsil Bara,

462

District Prayagraj, emerged as the highest bidder. Consequently, a request was communicated via email for issuance of Letter of Intent (Consent Letter) in his favour.

31. That upon completion of all requisite formalities, the Deponent, vide Office Letter No. 245/Mining Assistant dated 13.06.2022, issued the Letter of Intent in favour of Shri Kunwar Dinesh Singh. A copy of the Letter of Intent issued in favour of Shri Kunwar Dinesh Singh is being annexed as Annexure No. RA 2 to this affidavit.




32. That thereafter, for undertaking mining operations of morrum from the said mining area, Respondent No. 8 obtained Environmental Clearance/Consent Certificate dated 28.01.2025 was issued by the State Level Environment Impact Assessment Authority and submitted the same before the competent authority.

33. That pursuant thereto, on 10.02.2025, the Deponent completed the execution of the lease deed and was granted mining lease for extraction of sand/morrum for a period of five years, i.e., from 10.02.2025 to 09.02.2030, in favour of Shri Kunwar Dinesh Singh. A copy of the mining lease issued in favour of Shri Kunwar Dinesh Singh is being annexed as Annexure No. RA 3 to this affidavit.

34. That subsequent to execution of the lease deed, the aforesaid lessee has commenced mining operations from 10.02.2025 to 09.02.2030 within the approved lease area and strictly in accordance with the terms and conditions of the lease deed and the applicable statutory provisions.

35. That in compliance with the Hon'ble Supreme Court's order dated 10.11.2021, the District have prepared the District Survey Reports (DSR) through the SDC Committee and submitted them to the Directorate of Geology and Mining and SEIAA/SEAC.



36. That the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 10.11.2021 in *Pawan Kumar*, modified the procedure for preparation of DSR and directed the same be prepared by a Sub-Divisional Committee.

37. That the aforesaid DSR of Kaushambi has been prepared after conducting proper Replenishment Study. This kind of exercise and details can only be one after conducting proper resource estimation/replenishment study. Further, even the cluster leases and contiguous clusters can be identified only after analyzing and identifying areas of aggradations or deposition and that of erosions which in turn necessitates proper resource estimation/replenishment study.

Handwritten signature

38. That the DSR 2024 of District Kaushambi was prepared based on the findings of the Replenishment Study Report-2023 and the field inspection report. It is pertinent to mention that the quantity of sand across the 42 mining areas remains consistent in both the Replenishment Study Report-2023 and the DSR-2024. A copy of the Replenishment Study Report 2023 duly submitted to SEIAA



on 19.04.2025 is herewith being annexed as Annexure No. 4 to this affidavit.

That the District Survey Report (DSR) 2024 has been prepared in accordance with the guidelines prescribed under SSMMG-2016 and EMGSM-2020, based on the necessary field inspections/surveys, as well as the Pre-Monsoon and Post-Monsoon Replenishment Study Report of the District. The report was duly examined by SEAC-1 and, thereafter, submitted to SEIAA for approval.

40. That in District Kaushambi the administration has ensured that all mining areas have been geo-fenced, and boundary pillars have been duly established. Furthermore, the demarcation of mining areas has been undertaken after verification with revenue records and cadastral maps, upon which geo-coordinates have been determined. The transportation routes for all mining areas have also been designated accordingly.

Handwritten signature

41. That it is an admitted fact that no mining activity was permitted by the District Administration prior to the approval of the District Survey Report by the competent expert bodies. It is further submitted that the E-auction notices were issued only on the basis of the approved DSR and not in absence thereof.



That It is also pertinent to clarify that before granting a mining lease or commencing mining operations, the mining areas are subjected to an e-tender cum e-auction process, following which a Letter of Intent is issued in favor of the highest bidder. Subsequently, mining operations can commence only after obtaining the requisite No Objection Certificates (NOCs), such as the approval of the mining plan, Environmental Impact Assessment (EIA), public hearing, Environmental Clearance (EC), and Consent to Operate (CTO). Additionally, mining areas are periodically inspected by the District-Level Task Force and departmental officers. In case of illegal mining or any irregularities, necessary legal action is taken in accordance with regulations. To ensure stringent control over illegal mining/transportation in the District, all mining areas have been equipped with CCTV cameras, PTZ cameras, and weighbridges, which have been integrated with the Central Command Center of the Directorate of Geology and Mining, Lucknow.

Ant

संख्या-1875/06-2017(राज)एन
TCS

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकम् अनुभाग

संलग्नक, दिनांक-14 अगस्त 2017

विषय प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा राह ई-नीलागी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट मायिका संख्या-1498 वर्ष 2015 मुलायम चन्द मिश्र बनाम उप्र राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलागी/ई-निविदा राह ई-नीलागी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली-1963 तथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा राह ई-नीलागी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मानों की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी० बनी गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे० से कम नहीं होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्ण मुमितयुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनारपिता अनिवार्य है।

1

2

2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निर्धारित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे गिन् बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकते हैं। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरी के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को रोया प्रदाता के रूप में घयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन विड/मोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर आई आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए विड में भाग ले सकेंगे परन्तु उरो प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नरट भनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000(₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mscecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान विडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त विडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् विडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही विडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
- (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को विन्सी अपराधिक चाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।

- (3) आवेदक का बैंक कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका बैंक कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय वकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय वकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने बैंककार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट(नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।

- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की धोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञापि प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञापि एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के

बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर विडर्स एवं सार्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री विड अर्नेस्ट मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstc.commerce.com पर देखा जा सकता है।
- (4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी गिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी :-
 - क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।
 - ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेंडर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
 - ग. सार्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
- (5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।
- (6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0-15000(₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का

शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

- (7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
- (8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलागी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलागी की जा सकती है।
- (9) अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाँच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलागी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा :-

- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
- (2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय परिष्ठा अधिकारी, (सदस्य)
- (3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर(Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

2

15. ई-निविदा सह ई-नीलागी की प्रक्रिया :-

(1) ई निविदा सह ई नीलागी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड/समल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित समल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलागी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उक्त उपखनिज के लिए निर्धारित समल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उक्त निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उक्त उपखनिज के लिए निर्धारित समल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उक्त क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैत खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से केवल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड वर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलागी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकर ही द्वितीय चरण की ई नीलागी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

- (3) उपरोक्त प्रस्ताव-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के याग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अधिसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उराके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकारान)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वे दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वे दिन (सांय 05:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वे दिन से 36वे दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वे अथवा उराके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा(अपराह्न 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक)

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उराका प्रदर्शन :

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer)के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के सम्पादन के पश्चात् अधिकतम निविदा घनराशि (बिडिंग एगाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी।

सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

ख. एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलों में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्ताव-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी रवीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत किया जायेगा।
17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा करना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरधित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेन्ट जारी नहीं किया जायेगा तथा ब्याने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
18. लेटर आफ इन्टेन्ट में निम्न विवरण होंगे :-
- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्वन्धनो और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वागित्य की पहली किरत के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत

दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बचाने की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) घयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0

द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट गनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता / निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट गनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

- (3) प्रथम चर्च के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में निम्न तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क तथा आयकर विभाग का टी0सी0एरा0, जिला खनिज फाउण्डेशन(डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. शर्तें :- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी :-

- (1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर एरो सीमा विन्ड को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संघालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

- (4) पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निगरानी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक धान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित वार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित वार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अर्न्तगत शक्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलरतर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संकियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सवशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला वतानों की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रस्थापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक—(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) गिज़प्टि का प्रारूप।

श्रीदीय,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
२

संख्या— (1)/86-2017-तददिनोंक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (वी०ओ०) एम०एस०टी०सी० लि० लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरगेनियम-स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

Amrit

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग।

लखनऊ दिनांक: 20 अगस्त, 2019

विषय:—उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का
क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में सैतालिसवां संशोधन सम्बन्धी संलग्न अधिसूचना संख्या-1868/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 13.08.2019 (जो असाधारण सरकारी गजट में दिनांक 13.08.2019 के अंक में प्रकाशित की गई है), का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त अधिसूचना द्वारा नियमावली में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन संक्षेप में निम्नवत् हैं:-

- (1) नियम 10—किसी व्यक्ति के पक्ष में उपखनिज बालू/मोरम के अधिकतम पांच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने के स्थान पर अब संशोधित प्राविधान के अनुसार किसी एक व्यक्ति के पक्ष में दो खनन पट्टे से अधिक या पचास हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
- (2) नियम 17—स्वीकृत खनन क्षेत्र के सर्वेक्षण/सीमाबन्धन के सम्बन्ध में दो स्थायी बिन्दुओं का संदर्भ लेकर सीमा बिन्दुओं का जियो-कोऑर्डिनेट लेते हुए सीमांकन/सर्वेक्षण किया जायेगा।
- (3) नियम 23(1)—खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध क्षेत्रों की घोषणा/विज्ञप्ति में क्षेत्रों के जियो-कार्डिनेट्स का उल्लेख किया जाएगा।
नियम 23(2)(ख)—इमारती पत्थर के ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से 02 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के पट्टाधारक को, पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने से दो वर्ष के भीतर स्टोन कशर स्थापित करना होगा।
नियम 23(2)(घ)—निजी भूमि में उपलब्ध इमारती पत्थर के क्षेत्रों, जो न्यूनतम एक हेक्टेयर हों, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से अधिकतम 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा, जिसमें भूस्वामी को प्रथम इनकार का अधिकार होगा तथा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बोली दर के आधार पर स्वीकृत किये गये खनन पट्टा के अन्तर्गत पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित धनराशि देय होगी जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।
नियम 23(2)(ड)—निजी भूमि में उपलब्ध बालू/मोरम आदि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हों, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से, अधिकतम 08 माह की अवधि के लिये पट्टा पर स्वीकृत किया जायेगा, जिसमें भूस्वामी को प्रथम इनकार का अधिकार होगा। भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बोली दर के आधार पर स्वीकृत किये गये

खनन पट्टा के अन्तर्गत पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित धनराशि देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

नियम 23(4)— शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से वर्ष में एक बार मानसून सत्र की समाप्ति पर, जिलाधिकारी द्वारा, नदी ताल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

(4) नियम 26— बोलीदाता द्वारा, स्वयं का हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) नियम 27(3)— उपखनिज बालू/मौरम के खनन पट्टों के वार्षिक देयता की त्रैमासिक किस्त के स्थान पर माहवार किस्त का संदाय किये जाने हेतु पंचम अनुसूची जोड़ा गया है। मानसून अवधि (जुलाई, अगस्त, सितम्बर), जिसमें खनन कार्य बन्द होता है, को छोड़कर शेष 09 माह में प्रथम किस्त 20 प्रतिशत तथा अन्य 08 माह में 10 प्रतिशत प्रत्येक माह की पहली तिथि को देय होगी।

(6) नियम 28(2)(दो)—प्रथम वर्ष की देय धनराशि का निर्धारण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा को ई-निविदा/ई-नीलामी में प्राप्त बोली दर (Rate) से गुणा कर किया जायेगा।

(7) नया नियम 29क— खनन पट्टा अन्यर्पण का नियमावली में प्राविधान किया गया है। पट्टाधारक द्वारा अन्यर्पण की आशयित दिनांक (Intended day of surrender) को प्रतिभूति की जमा धनराशि एवं उस वर्ष की वार्षिक देय किस्त के 25 प्रतिशत की धनराशि को जमा कर, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी अनापत्ति एवं क्षेत्र से निकाले गये खनिज की मात्रा का आंकलन करने के उपरान्त देय समस्त धनराशि के जमा की अनापत्ति के आधार पर खनन पट्टे का अन्यर्पण किया जा सकेगा।

(8) नियम 34(2)— आशय पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर चयनित आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत की जायेगी। खनन योजना के अनुमोदनोपरान्त एक माह के भीतर पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

नियम-34(4)— पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयवधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा।

नियम 34(5)— पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना होगा। बालू/मौरम के खनन पट्टाविलेख के निष्पादन के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जायेगी तथा अन्य उपखनिजों के खनन की संक्रिया पट्टाविलेख निष्पादन के तीन माह के भीतर प्रारम्भ की जायेगी।

(9) नियम 40(ग)—खनन संक्रिया में, नदी की जलधारा को छोड़कर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, मशीनों के प्रयोग को स्पष्ट किया गया है।

नियम-40(ज)— विशेष परिस्थितिवश पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया बाधित होने की स्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन किया जायेगा।

(10) नियम 41(झ)— भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।

1) नियम 52(क)- कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु बालू/गौरम के साथ बजरी/बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी अवस्था में हो को जोड़ा गया है। खनन आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु जांच विषयक विन्दुओं में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि विगत पाँच वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी। स्वामित्व की दोगुनी धनराशि अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जा सकता है।

(12) नियम 58(2)- खनन पट्टा अन्तर्गत कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

(13) नियम-59(1)-नियम-34(2) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक पर ₹0 10,000 प्रतिदिन की शारित तथा नियम-34(5) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किस्त और प्रतिभूति धनराशि समपट्ट करके हुए आशय-पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जायेगा।

नियम 59(6)- नियम-41(झ) के उल्लंघन की दशा में प्रत्येक घूक के लिए खनन पट्टाधारक पर ₹0 25000 शारित अधिरोपित लिए जाने तथा शारित जमा न करने पर प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

नियम 59(7)- नियम-34(4) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्ष में जारी आशय-पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जा सकता है।

(14) नियम 60(2)- खनन पट्टा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में नियम-60(1) के अनुसार अथवा पट्टा अन्तर्गत देय धनराशि जमा न करने पर नियम 58 के अन्तर्गत खनन पट्टा निरस्त करने पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए खनन पट्टा धारक का नाम काली सूची में डाला जा सकता है।

(15) नियम 63(2)- आवेदक/पट्टाधारक के मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खनन पट्टा का आवेदन पत्र/निष्पादित खनन पट्टा स्थानान्तरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जा सकता है।

(16) नियम 68क- राज्य सरकार किसी सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी के पक्ष में यथा विनिर्दिष्ट निर्बंधनों और शर्तों के अधीन किसी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है।

(17) तृतीय अनुसूची के प्रपत्र एम0एम0-11/ई एम0एम0-11- परिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 में खनिज की मात्रा के साथ खनिज मूल्य को भी अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

अतएव वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उपखनिजों के खनन पट्टों की स्वीकृति, खनन संकिया, देय किस्तों के भुगतान आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा० प्रो० जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या : 1868(1)/86-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सगरत मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव।

प०

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकार्य अनुभाग

लखनऊ, दिनांक- 09 अक्टूबर, 2019

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सामान्य)/2017 टीसी-1 दिनांक 14.08.2017 द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का प्रख्यापन दिनांक 13.08.2019 को किया गया है। उक्त नियमावली-संशोधन के परिणाम स्वरूप संशोधित शासनादेश दिनांक 14.08.2017 को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.08.017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किया जाता है :-

क्र. सं.	शासनादेश दिनांक 14.08.2017 का विन्दु संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	अन्य विवरण
1	10	ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लि0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.msice.commerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान विडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त विडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् विडर्स को आवश्यक अगिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन	ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लि0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.msiceco.commerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा, जिसके दौरान विडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0टी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त विडर्स को एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा भेजी गयी ई मेल सूचना प्राप्त होगी, जिसके पश्चात् विडर्स द्वारा आवश्यक अगिलेख स्कैन कर एम0 एस0 टी0	

269/Si Admt

वन अधिकारी

Admt/ 11/10/19

1593/01

Admt/OC 29/10/19

वन अधिकारी
09.10.2019

		भोजना अनिवार्य होगा। साथ ही विडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹50-1,100 (₹50 एक हजार एक सौ अरसी मात्र) एम0एस0टी0सी0 वेबेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0 सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।	सी0 लि0 को आनलाईन भेजा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही विडर्स द्वारा वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹50- 2,300/- (₹50 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 वेबेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0 सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।	एम0एस0टी0 सी0 के एम0ओ0गु0 के अनुसार
2	11	पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0 एस0 टी0 सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-	पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0 एस0 टी0 सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :- (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की घनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।	नियम-26
3	12	एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली -1963 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-	एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतल एवं खनिकर्मा निदेशालय की वेबसाईट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली -1963 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:- (7) जिसने हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की घनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत नहीं किया हो।	एम0एस0 टी0सी0 के एम0ओ0गु0 के अनुसार
4	13	रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1)	रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1)	

की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर विडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/ विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0लि0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0 टी0सी0लि0 के पोर्टल पर की जा सकें। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0 टी0सी0लि0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई- निविदा सह ई- नीलामी हेतु एम0एस0 टी0सी0 के वेब पोर्टल पर विडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

विज्ञप्ति की पुष्टि करते समय समिति के जिन सदस्यों का नाम ई-पोर्टल पर विज्ञप्ति के कंटेंटिंग में प्रदर्शित होगा, उन्ही सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर से प्राप्त ई-निविदाओं को खोला जा सकेगा। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों की होगी। डी0एस0सी0 के नवीनीकरण अथवा स्थानान्तरण आदि की स्थिति में परिवर्तन की दशा में एम0एस0टी0सी0 को सूचित करना अनिवार्य होगा, ताकि ई-पोर्टल पर एम0एस0टी0सी0 द्वारा आवश्यक बदलाव किया जा सकें।

एम0एस0टी0
सी0 के
एम0ओ0ए0
के अनुसार

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम, क्षेत्रफल, क्षेत्र में आकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायव्ही दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री विड अर्नस्ट मनी, ई-निविदा डालने की

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम, क्षेत्रफल, जिमी-कोऑर्डिनेट का विवरण, क्षेत्र में आकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायव्ही दर, क्षेत्र के

निम्न-23(1)

<p>तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।</p>	<p>लिए निर्धारित प्री विड अर्नेस्ट मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा खोलने की तिथि व समय, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।</p>	
<p>(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उरसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।</p>	<p>(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) बोलीदाता/ निविदा दाता के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, मृतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलावा किया जा सकता है।</p>	<p>एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट के अनुसार</p>
<p>(9) अधिकतम पाँच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाँच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इंटेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के धारण का उरो अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।</p>	<p>(9) अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इंटेंट की सूचना देता है तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के धारण का उरो अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।</p>	<p>नियम-10(3)</p>

5	15	<p>ई-निविदा सह ई-नीलागी की प्रक्रिया :-</p> <p>(1) ई निविदा सह ई नीलागी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलागी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।</p> <p>(7) ई निविदा सह ई नीलागी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-</p>	<p>ई-निविदा सह ई-नीलागी की प्रक्रिया :-</p> <p>(1) ई-निविदा सह ई-नीलागी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलागी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी</p> <p>(7) ई-निविदा सह ई-नीलागी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-</p>	<p>एम०एस०टी० सी० के एग०ओ०यू० के अनुसार</p>																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)</th> <th>प्रथम दिन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि</td> <td>31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक</td> </tr> <tr> <td>प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन</td> <td>35वें दिन से 36वें दिन तक</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय चरण ई नीलागी की अवधि</td> <td>37वें अथवा उसके बाद के दिन, जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)</td> </tr> </tbody> </table>	प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन	प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक	द्वितीय चरण ई नीलागी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन, जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)</th> <th>प्रथम दिन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि</td> <td>31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक</td> </tr> <tr> <td>प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन</td> <td>34वें दिन के उपरान्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय चरण की ई-नीलागी की अवधि</td> <td>ई-निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक तिथि व समय</td> </tr> </tbody> </table>	प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन	प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	34वें दिन के उपरान्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय	द्वितीय चरण की ई-नीलागी की अवधि	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक तिथि व समय	<p>एम०एस०टी० सी० के एग०ओ०यू० के अनुसार</p>
प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन																			
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक																			
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक																			
द्वितीय चरण ई नीलागी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन, जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)																			
प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन																			
प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक																			
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	34वें दिन के उपरान्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय																			
द्वितीय चरण की ई-नीलागी की अवधि	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक तिथि व समय																			
6	18	<p>लेटर आफ इन्टेट में निम्न विवरण होंगे :-</p> <p>(2) सफल बोलीदाता/ निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए</p>	<p>आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेट) में निम्न विवरण होंगे :-</p> <p>(2) सफल बोलीदाता/ निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए</p>																	

	<p>प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वागित्य की पहली किरत के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/ निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। ययाने की धनराशि (अर्नेस्ट गनी) प्रथम किरत में समायोजित कर ली जायेगी।</p> <p>(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किरते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/ निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली- 1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।</p> <p>(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।</p> <p>(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।</p>	<p>प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वागित्य की पहली किरत के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/ निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। ययाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट गनी) प्रथम किरत में समायोजित कर ली जायेगी।</p> <p>(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किरते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/ निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहार धारकों द्वारा पंचम अनुसूची की प्रक्रिया के अन्तर्गत धनराशि जमा करने के प्रस्तुत अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिरामें सीमा बिन्दुओं का जीओ-कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।</p> <p>(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किरत की धनराशि के जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।</p> <p>(8) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।</p>	<p>नियम-28 (2)(बग) (पंचम अनुसूची)</p> <p>(पंचम अनुसूची)</p> <p>नियम-17</p> <p>नियम-34 (2)</p> <p>नियम-34 (5)</p>
--	---	---	--

7	19	<p>सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :</p> <p>(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :</p> <p>(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से गिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली, 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>नियम-28 (2)</p>
		<p>(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस10 टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0 एफ0 टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असाफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।</p>	<p>(2) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि के 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) सम्बन्धित जनपद में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0 एस10 टी0 सी0 लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से / आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असाफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई</p>	<p>एम0एस10 टी0सी0 के एम0ओ0यू0 के अनुसार</p>

	<p>(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जाएगी। उक्त अनुसूची में निम्नलिखित के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।</p>	<p>शिकायत अथवा प्रत्यवेदन विचार योग्य नहीं होगा।</p> <p>(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जाएगी। उक्त अनुसूची में निम्नलिखित के अनुसार देय धनराशि जमा नहीं करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।</p>	नियम-58
--	--	--	---------

3 राज्य सरकार और एम०एस०टी०सी० लि० के मध्य निम्नादिता अनुबन्ध पत्र/एम०ओ०यू० /संगत नियमावली और समय-समय पर निर्गत प्रभावी आदेशों/निर्देशों के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2017 के साथ संलग्न विज्ञापित को यथावश्यक संशोधित करते हुये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यथाशीघ्र निर्गत किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 14.08.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उक्तानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन मा० उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया
/s/ /
(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/86-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार यथापेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक, (वाणिज्य), एम०एस०टी०सी० लि०, 225-सी-आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, 70020
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव

17/08/2019 4:12

et
No. 869/5-2019

Ant

2

प्रेषक,
 रीना कुमारी,
 प्रमुख सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन,
 सेवा में,
 रागरत जिलाधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।

भूतत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ, दिनांक- 07 अक्टूबर, 2019
 विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, गोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
 उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1875/88-2017-57(सांगण)/2017 टीसी-1 दिनांक 14.08.2017 द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, गोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का प्रख्यापन दिनांक 13.08.2019 को किया गया है। उक्त नियमावली-संशोधन के परिणाम स्वरूप संशोधित शासनादेश दिनांक 14.08.2017 को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नदी तल में उपलब्ध बालू, गोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.08.017 में एतद्वारा निर्मातेखित संशोधन/परिवर्तन किया जाता है :-

269/Si Adm

न अतिरिक्त

Adm
 11/11/19

1593/01
 G.M.

31/08/2019
 धन अधिकारी

क्र. सं.	प्रमाण दिनांक 14.08.2017 का दिनांक अवकाश	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	अन्य विवरण
1	10	ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लिंग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑनलाइन पोर्टल www.msice.commerce.com पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर अर्जने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाइन पंजीयन के उपरान्त बिडर को एम0एस0टी0सी0लिंग द्वारा भेजा गया रूपना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके परमात् बिडर को आवश्यक अनिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाइन	ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लिंग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑनलाइन पोर्टल www.msice.commerce.com पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना पड़ेगा, जिसके दौरान बिडर अर्जने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाइन पंजीयन के उपरान्त बिडर को एम0एस0टी0सी0लिंग द्वारा भेजी गयी ई मेल रूपना प्राप्त होगी, जिसके परमात् बिडर को आवश्यक अनिलेख स्कैन कर एम0 एस0 टी0	

09.10.2019

(Handwritten signature)

		<p>भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही एम0एस0टी0सी0 को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रु0-1,180 (रु0 एक हजार एक सौ अरसी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0 सी0 के निर्धारित पोर्टल पर घालू (Activate) होगा।</p>	<p>सी0 लि0 को आनलाईन भेजा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही विडर्स द्वारा वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रु0- 2,360/- (रु0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही विडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0 सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर घालू (Activate) होगा।</p>	<p>एम0एस0टी0 सी0 के एम0ओ0यू0 के अनुसार</p>
2	11	<p>पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0 एस0 टी0 सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-</p>	<p>पंजीकरण हेतु विडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0 एस0 टी0 सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-</p> <p>(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की घनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।</p>	<p>नियम-26</p>
3	12	<p>एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली -1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-</p>	<p>एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाईट से वरसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली -1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-</p> <p>(7) पिराने हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा हैसियत प्रमाण-पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की घनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत नहीं किया हो।</p>	<p>एम0एस0 टी0सी0 के एम0ओ0यू0 के अनुसार</p> <p>नियम-26</p>
4	13	<p>रिवत दौत्रों का विज्ञापन- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1)</p>	<p>रिवत दौत्रों का विज्ञापन- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1)</p>	

<p>की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञापि प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञापि एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिहर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।</p>	<p>की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/ विज्ञापि प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उपर क्षेत्रों की विज्ञापि एम0एस0 टी0सी0 के पोर्टल पर की जा सकें। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0 टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई- निविदा सह ई- नीलामी हेतु एम0एस0 टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिहर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।</p>	<p>एम0एस0टी0 सी0 के एम0जी0ए0 के अनुसार</p>
<p>(2) विज्ञापि में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम, क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नस्ट मनी, ई-निविदा डालने की</p>	<p>(2) विज्ञापि में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम, क्षेत्रफल, जियो-कोऑर्डिनेट का विवरण, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के</p>	<p>विषय-23(1)</p>

तिथि व अवधि, ई-निविदा उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उरी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

(9) अधिकतम पॉंच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किराी व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पॉंच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी सेक्टर ऑफ इटेन्ट की रूपना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के धयन का उरी अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

लिए निर्धारित प्री विड अर्नेस्ट मनी, ई-निविदा खोलने की तिथि व अवधि, ई-निविदा खोलने की तिथि व समय, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) बोलीदाता/ निविदा दाता के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, मृतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलावा किया जा सकता है।

(9) अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किराी व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी सेक्टर ऑफ इटेन्ट की रूपना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के धयन का उरी अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

एन०एल०टी०
सी० डे
एन०प्रो०यू०
डे अनुसार

नियम-10(b)

ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
 (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो घरणों में की जायेगी। प्रथम घरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय घरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई-नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम घरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर दिशक्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।
 (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्राप्त दिशक्ति (दिशक्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन
प्रथम घरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अगति	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक
प्रथम घरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय घरण ई-नीलामी की अधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन, जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)

ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
 (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो घरणों में की जायेगी। प्रथम घरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। दिशक्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम घरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय घरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी
 (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्राप्त दिशक्ति (दिशक्ति का प्रकारान)	प्रथम दिन
प्रथम घरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक
प्रथम घरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	34वें दिन के उपरान्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक तिथि व समय
द्वितीय घरण की ई-नीलामी की अधि	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक तिथि व समय

एन०एन०टी० री० के एन०डी०ए० के अनुसार

एन०एन०टी० री० के एन०डी०ए० के अनुसार

लेटर आफ इन्टेट में निम्न विवरण होंगे :-
 (2) सफल बोलीदाता/ निविदादाता, पट्टे की निर्बंधनो और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए

आराय पत्र (लेटर आफ इन्टेट) में निम्न विवरण होंगे :-
 (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बंधनो और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए

प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहार धारकों द्वारा पंचम अनुसूची की प्रक्रिया के अन्तर्गत धनराशि जमा करने के प्रस्तुत अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जीओ-कोऑर्डिनेटर भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा धितेख का निष्पादन करवाकर खनन सक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

नियम-28
(2)(घार)
(पंचम
अनुसूची)

(पंचम
अनुसूची)

नियम-17

नियम-34
(2)

नियम-34
(1)

सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा घनराशि जमा करने की रीति :

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की घनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा घनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा घनराशि नियमावली-1963 के घतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा घनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य घनराशि एम०एस० टी०सी० के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई० एफ० टी० द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त घनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त घनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा घनराशि जमा करने की रीति :

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की घनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से गिन्ना हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा दोत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की घनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा घनराशि नियमावली, 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा घनराशि के 45 प्रतिशत के समतुल्य घनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) सम्बन्धित जनपद में श्रुत एवं खनिकर्म विभाग में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की घनराशि एम० एस० टी० सी० लि० द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से / आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त घनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई

नियम-28
(2)

एम०एस०
टी०सी० के
एन०ई०ए०
के अनुसार

	<p>(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित वार्षिक अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।</p>	<p>शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा नहीं करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।</p>	<p>निष्प-28</p>
--	--	---	-----------------

3. राज्य सरकार और एम0एस0टी0सी0लिट0 के मध्य निम्नलिखित अनुबंध पत्र/एम0ओ0यू0 /संगत नियमावली और समय-समय पर निर्गत प्रभावी आदेशों/निर्देशों के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2017 के साथ संलग्न विज्ञप्ति को यथावश्यक संशोधित करते हुये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यथाशीघ्र निर्गत किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 14.08.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उक्तानुसार ई-निविदा सह ई-नीलागी प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, गोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया
/s/ /
(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/B6-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शारान, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार यथापेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक, (वाणिज्य), एम0एस0टी0सी0 लि0, 225-सी-आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, 70020
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव

17/08/2019

CL

6101/13/695-0N

2

कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी
(खनन अनुभाग)

पत्रांक 245 / खनन सहायक कौ

दिनांक 13/06 / 2022

सहमति-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट)

श्री कुंवर दिनेश सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
निवासी वार्ड नं०-1 शंकरगढ़ तहसील बारा
जनपद प्रयागराज ।

शासनादेश संख्या 1875/86-2017-57(सा०)/2017 टी०सी०आई० दिनांक 14.08.2017 व शासनादेश संख्या 1955/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 20.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अर्न्तगत एवं शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में मोरम खनन (05 वर्ष) हेतु जनपद कौशाम्बी में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अर्न्तगत 11 क्षेत्रों की विज्ञप्ति दिनांक 11.05.2022 को की गयी थी।

उक्त निर्गत विज्ञप्ति के खण्ड क्रमांक संख्या 03 पर अंकित खण्ड संख्या 10/03 से 10/06 क्षेत्रफल 20.00 हे० ग्राम मल्हीपुर तहसील चायल (अनुमानित खनन योग्य भण्डार 1,65,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) में प्रथम चरण की विज्ञप्ति खोलने की तिथि 01.06.2022 से 03.06.2022 निर्धारित थी, उक्त निर्धारित तिथि पर टेण्डर खोलने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खण्ड में 02 आवेदन पाये गये थे जिसमें श्री कुंवर दिनेश सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी वार्ड नं०-1 शंकरगढ़ तहसील बारा जनपद प्रयागराज द्वारा रू० 161 की सार्वधिक ऑफर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्राप्त पट्टा में एम०एस०टी०सी० द्वारा प्राप्त ई-मेल के पत्र दिनांक 08.06.2022 के क्रम में सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) निर्गत करने हेतु इस कार्यालय को ई-मेल प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या 1875/86-2017-57(सा०)/2017 टी०सी०आई० दिनांक 14.08.2017 व शासनादेश संख्या 1955/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 20.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अर्न्तगत एवं शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(सा०)/2017 दिनांक 09.10.2019 के विन्दु संख्या 20(2) एवं विज्ञप्ति दिनांक 18.12.2019 के विन्दु संख्या 21(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार "लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि चालान के माध्यम से लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल

Yh

Amrit

निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।"

उक्त शासनादेश के अनुपालन में सर्वोच्च बोलीदाता श्री कुंवर दिनेश सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी वार्ड नं०-1 शंकरगढ़ तहसील वारा जनपद प्रयागराज के द्वारा 161 रु० प्रति घनमीटर की दर से आफर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अर्नेस्ट मनी रु० 61,87,500/- (इक्सठ लाख सत्तासी हजार पाच सौ०) समायोजित करने के पश्चात अवशेष धनराशि रु० 57,66,750/- (सत्तावन लाख छछठ हजार सात सौ पचास रु०) 02 कार्य दिवसों के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेट जारी होने पर चालान के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

उक्त के सम्बन्ध में आवेदक को सहमति पत्र निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन दिया जाना है।

नियम एवं शर्तें निम्नवत है :-

1. प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घनमीटर को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
2. सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की नियमनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
3. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के संशोधित 47वां संशोधन में के अनुसार पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
4. पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
5. चयनित आवेदक नियम-35 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स वलोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
6. प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35(6) के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
7. लेटर आफ इन्टेट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।



8. शासनादेश संख्या 1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0आई0 दिनांक 14.08.2017 व शासनादेश संख्या 1955/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 20.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अर्न्तगत एवं शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(सामा0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दी गयी नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9. पट्टाधारक द्वारा स्वामित्व का धनराशि 10 प्रतिशत (देय किस्त का) समय समय पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाते में जमा करना होगा।

अतः उक्त अवशेष धनराशि (रू0 161 प्रति घनमीटर की दर से) रू0 57,66,750/- पूर्व में जमा प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित करने के उपरान्त) अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आपके पक्ष में मोरम खनन पट्टा स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0आई0 दिनांक 14.08.2017 व शासनादेश संख्या 1955/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 20.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा/सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अर्न्तगत एवं शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(सामा0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दी गयी व्यवस्था, नियम व शर्तों के अधीन अन्य अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(सुजीत कुमार)
जिलाधिकारी

कौशाम्बी।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, सेन्टर कोर्ट, बिल्डिंग 5, पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ।

Tral 1902666668) Clear Paks. भारत/भारत

India Post

PK7124104571 INR:2285471241045
PL NUMBER FOR SO (212207)
Counter No:10,14/06/2022,10:56
To:SA077 BHUTAT.LYM
FIN:226001, Lucknow CFO
From:ML KGB
Wt:3000s
Amt:27.00/Cash)
Track on www.indiapost.co.in)

Tral 1902666668) Clear Paks. भारत/भारत

India Post

PK712410311H INR:2285471241031
PL NUMBER FOR SO (212207)
Counter No:10,14/06/2022,10:56
To:SA077 BHUTAT.LYM
FIN:226001, Lucknow CFO
From:ML KGB
Wt:3000s
Amt:27.00/Cash)
Track on www.indiapost.co.in)

जिलाधिकारी
कौशाम्बी।

अंत

Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Signature
ACC Name-IM...
ACC Address...
License No.-23, Tehsil-Chail, Dist. Kaushambi

RK 177

2640/025

Certificate No. : IN-UP74513281111412X
 Certificate Issued Date : 30-Jan-2025 06:03 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14149504/ CHAYAL SADAR/UP-KSM
 Unique Doc Reference : SUBIN-UPUP1414950445909967900546X
 Purchased by : KUNWAR DINESH SINGH
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : KHAND NO-10/3 TO 10/6 AREA 20.00 HECTARE ONLY MAUJA MALHIPUR TEHSIL CHAIL DISTRICT KAUSHAMBI
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DISTRICT MAGISTRATE KAUSHAMBI
 Second Party : KUNWAR DINESH SINGH
 Stamp Duty Paid By : KUNWAR DINESH SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 35,68,500
 (Thirty Five Lakh Sixty Eight Thousand Five Hundred only)



Please write or type below this line

प्रपत्र एम0एम0-6

खनन के लिये ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्टे का आदर्श प्रपत्र (नियम-29)
यह अनुबन्ध आज दिन सोमवार दिनांक 10/02/2025 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे 'राज्य-सरकार' कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कौशाम्बी

जिलाधिकारी
कौशाम्बी
0007964983

Statutory Alert

The authenticity of this document is guaranteed by the Government of Uttar Pradesh using a Digital Signature and a Unique Document Identification Number (UDIN). The use of this document is subject to the terms and conditions of the e-Stamp Act, 2004.

यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अगिहरतांकित भी समझे जायेंगे),
..... एक पक्ष

और

श्री कुवर दिनेश सिंह पुत्र श्री गुलाम सिंह नि० चार्ज नं०-1, नगर पंचायत शंकरगढ़ तहसील बारा जनपद प्रयागराज (जिसे आगे "पट्टाधारक" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि सम्बन्ध से ऐसा ग्राह्य हो, उनके दायत्व, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

..... दूसरा पक्ष

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-04 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अन्तर्गत किये गये ई-निविदा सह ई-नीलामी में पट्टाधारक को ग्राम मल्लीपुर के गाटा संख्या-421, 426 से 430, 127 से 441, 443, 445 से 450 खण्ड संख्या-10/3 से 10/6 क्षेत्रफल 20.00 हे० में वार्षिक आंकलित खनन योग्य बालू/भोरम की मात्रा 1,65,000 घनमीटर के खनन एवं परिवहन के लिये ₹०-151/- प्रति घनमीटर की दर से प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की राकल धनराशि ₹०-2,65,65,000/- एवं अनुवर्ती/आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये नीलामी पट्टा की धनराशि निर्धारित करने के आधार पर ई-निविदा के प्रस्ताव/ई-नीलामी की बोली को राज्य सरकार द्वारा नीलामी पट्टे के लिये पाँच वर्षों के निमित्त एतद्दीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में 20.00 हेक्टेयर के लिये रवीकार कर लिखा गया है और पूर्व में जगा प्रथम वर्ग की रायल्टी के 45 प्रतिशत के गारर धनराशि ₹०-1,19,54,250/- में से 20 प्रतिशत धनराशि ₹०-53,13,000/- प्रथम वर्ष की प्रथम किरात तथा शेष 25 प्रतिशत ₹०-66,41,250/- प्रतिभूति धनराशि स्वरूप राज्य सरकार के पास जमा रहेगी।

उक्त क्षेत्र से बालू/भोरम का खनन व परिवहन करने हेतु निदेशक, भूदात्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2022/7/18/142260 दिनांक 12.10.2022 द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh) के पत्र संख्या SI/WUP/ MIN/445095/2023 & SEIAA, U.P File no-8277-7395 दिनांक 28.01.2025 द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

यह इराका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन-पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रजित और उभारे दिये गये और पट्टाधारक/पट्टाधारकों को ओर से भुगतान किये जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किये जाने वाले स्वामित्वों, प्रसिद्धियों तथा अनुसूचियों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टाधारक/पट्टाधारकों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है।

भोरम (जिन्हे आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उप खनिज" कहा गया है), जो समस्त खान, तल्य (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबंधों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा)
कौशाम्बी

जिलाधिकारी
कौशाम्बी

या उपयोग किया जायेगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों शिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक 10/02/2025 से दिनांक 09/02/2030 तक पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिये पट्टाधारक/पट्टाधारकों की एतद्द्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू-भूदादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वागित्यों का भुगतान करना निर्दिष्ट निम्न-निम्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टाधारक एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंगिता करता है/करता है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टाधारक/पट्टाधारकों के साथ प्रसंगिता करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों की बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:- यह समस्त भूखण्ड, जो जनपद कौशाम्बी के तहसील घायल के अर्न्तगत यमुना नदी के गाटा संख्या-424, 426 से 430, 437 से 441, 443, 445 से 450 खण्ड संख्या-10/3 से 10/6 ग्राम मल्लीपुर क्षेत्रफल-20.00 हेक्टेयर जो यहां संलग्न नक्शे में चिह्नित है और उरो ताल स्याही से रंजित (Coloured) किया गया है जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं०	सिंगा बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
1	A	N-25°16'52.219"	E-81°31'10.401"
2	B	N-25°17'00.215"	E-81°31'27.880"
3	C	N-25°16'53.994"	E-81°31'34.925"
4	D	N-25°16'41.908"	E-81°31'17.036"

घाँहददी :-

- (1) उत्तर- खण्ड संख्या 16/7 का शेष भाग।
 - (2) दक्षिण- खण्ड संख्या 16/3 का शेष भाग।
 - (3) पूरब- खण्ड संख्या 16/4, 16/5, 16/6 का शेष भाग।
 - (4) पश्चिम- खण्ड संख्या 16/4, 16/5, 16/6 का शेष भाग।
- और चारो एतद्द्वारा उक्त 'भू-खण्ड' कहा गया है।



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
कौशाम्बी

जिलाधिकारी
कौशाम्बी

भाग-2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि :- (1) पट्टाधारक, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में उराके/उनाके द्वारा हटाये गये सभी गोरम (उपखनिज) के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे :-

क्र.सं.	किसी का नाम	राज्य	एक की एक काई ई-विक्टर/ई-वीएन की संख्या का प्रमाण	किश्त								
				10 अक्टूबर 01 पर								
88/1250	करीम	उराके	82 13 600	26,58,500	26,58,100	26,58,500	26,58,500	26,58,500	26,58,500	26,58,500	26,58,500	26,58,500
	करीम	उनाके	88 44 399	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150	29,22,150
	करीम	उनाके	64 23 150	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305	32,84,305
	करीम	उनाके	70 71 601	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807	35,25,807
	करीम	उनाके	11, 18, 144	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382	38,89,382

स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :- (2) इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को जनपद-कौशांबी के सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा धालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेजी जायेगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया :- (3) यदि इस उपस्थापन-पत्र (Presentation) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टाधारक/पट्टाधारकों द्वारा उपरोक्त नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे गालगुजारी का वसूला।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध


नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है :- (1) यदि पट्टेदार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और किसी शर्त को भंग करे तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टाधारक को उक्त शर्त भंग करने का स्वस्थीकरण देने के लिये यथोचित अवसर दिया जाएगा।



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशांबी



(अरुण कुमार गोड़)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कौशांबी


जिलाधिकारी
कौशांबी



पट्टाधारक, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटाएगा :- (2) पट्टाधारक इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकाने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्परघात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड-1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिये ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थायी आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टाधारक द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् तीन मास से अधिक समय तक छोड़ी गयी सम्पत्ति की जल्दी :- (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रगावी होने के पश्चात् तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टाधारक/पट्टाधारकों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टाधारक द्वारा न उठाये जाय तो यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टाधारक/पट्टाधारकों को कोई हिसाब दिये बिना, उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझें।

नोटिस :- (4) इस उपस्थापन-पत्र द्वारा पट्टाधारक/पट्टाधारकों को दिये जाने के लिये अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्टाधारक ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी तो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टाधारक/पट्टाधारकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जायेगा जिनसे पट्टाधारक समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिये दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टाधारक/पट्टाधारकों पर उचित तथा गैर तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न तो उपाहृत (challenged) किया जायेगा।

अतिरिक्त शर्त :-

1. वन अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदित खनन योजना, शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57 (सा0)/2017 टी0सी0-1 दिनांक 14.08.2017 तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
2. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-8 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कौशाम्बी

जिलाधिकारी
कौशाम्बी

अजित

3. बालू/भोरम (उपखनिज) का परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 के माध्यम से किया जायेगा।
4. पट्टाधारक उक्त नियमावली, 2021 के नियम-75 के तहत पूर्ववर्ती त्रैमासिक के समय में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह के अन्त तक प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) और निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने पर रुपया-2,000/- की शरित का भागी होगा।
5. पट्टाधारक नियमावली, 2021 के नियम-42(ज) में विहित व्यवधानुसार नदी तल में 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर, जो भी कम हो, के परे कोई खनन रांकियायें नहीं करेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में भी खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
6. पट्टाधारक नियमानुसार देव किरत के सापेक्ष 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि आयकर (टी0सी0एस0) के मद में एवं 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यारा निधि (डी0एम0एफ0), कौशाम्बी के मद में जमा करेगा।
7. पट्टाधारक स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमाबिन्दु को और खन्ने को तथा पट्टे से सम्बन्धित सूचना बोर्ड परिनिर्दिष्ट करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति में रखेगा, जो पट्टापिलेड से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो।
8. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-45 में उपबन्धित की गयी किसी शर्त को भंग करने पर पट्टाधारक 50,000/- रुपये की शरित उद्ग्रहित किये जाने हेतु दायी होगा। शरित की उक्त धनराशि जमा करने में विफल होने पर पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।
9. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-35 के उपबन्धों के अनुसार अनुमोदित खनन योजना और स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुये खनन कार्य किया जाता हुआ पाये जाने पर प्रत्येक चूक पर पट्टाधारक 50,000/- रुपये की दर से ऐसी शरित के लिये दायी होगा जिराफी बसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।
10. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-36 में उल्लिखित उपबन्ध का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर पट्टाधारक प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन 25,000/- रुपये की दर से शरित उद्ग्रहित की जायेगी। ऐसी उद्ग्रहित शरित को जमा न करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती प्रतिभूति की धनराशि से की जायेगी।
11. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-50(4) के प्रावधान है कि पट्टाधारक 42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार कोई खनन कोई, जलधारा में सक्शन मशीन व लिफ्टर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा। उक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर 5.00 लाख रुपये की दर से शरित के लिये दायी होगा। शरित की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उक्त धनराशि को प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी।



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार मोड)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
कौशाम्बी

जिलाधिकारी
कौशाम्बी

12. पट्टाधारक, जिनका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हे० से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिये, रवय के व्यय पर 300 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य धार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित एक घेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा।

पट्टाधारक उक्त घेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे पट्टाधारक क्षेत्र से खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई-एम०एम०-11 पर अंगिकृत बारकोड का डाटा पढ़ा जा सके, और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसी चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त रानी सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी सगरस रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।

13. खनिजों के परिवहन हेतु जहाँ ई-एम०एम०-11 जारी किया जायेगा वहाँ पट्टाधारक उपखनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा। यदि राज्य सरकार की राय में अधिकतम विक्रय मूल्य की दर नियत की जानी हो तो राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को इसके लिये निर्देशित किया जा सकता है।
14. अनुमोदित अदधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं, तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टाधारक का होगा।
15. आबद्ध नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ करने का दायित्व पट्टाधारक का होगा।
16. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
17. नदी के तटबन्ध से नदी की ओर न्यूनतम 50 मीटर तक खनन कार्य किया जाना वर्जित होगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो नदी से तटबन्ध की ओर खनन कार्य किया जायेगा।
18. खनन के दौरान व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति के क्षति की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी तथा तीसरे पक्ष से विवाद उत्पन्न होने पर उसका निस्तारण पट्टाधारक द्वारा अपने खतर से की जायेगी।


पट्टाधारक उत्पादन/निकासी से सम्बन्धित अभिलेख खनन क्षेत्र पर रखेगा, जिसे जिलाधिकारी अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु माँगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

19. खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के नियोजन एवं मजदूरी आदि के सम्बन्ध में एक रजिस्टर खनन क्षेत्र पर रखकर उसमें प्रविष्टि करेगा तथा निरीक्षण हेतु माँगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।
20. खनन श्रमिकों के प्राथमिक चिकित्सा हेतु खनन क्षेत्र पर First Aid Box रखना अनिवार्य होगा तथा उनके लिये शौचालय आदि का समुचित प्रबंध करेगा।
21. परिवहन के साधनों पर गोरम की लोडिंग के उपरान्त प्लारिटेक अथवा तिरपाल से ढकने के पर्याप्त ही उसी आगे के लिये रखा किया जायेगा।




(अजित कुमार पाण्डेय)
खान, अधिकारी
कौशांबी


(अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
कौशांबी



जिलाधिकारी
कौशांबी

22. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य किया जायेगा। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य किया जाता हुआ पाये जाने पर पट्टाधारक के विरुद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
23. पट्टाधारक द्वारा उक्त अधिनियम-1957 की धाराओं व नियमावली, 2021 के नियमों यथारांशोधित एवं मा10 न्यायालयों/मा10 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों व पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्तों तथा समय-समय पर शरण द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
24. वन भूमि एवं वनस्वरूप भूमि की बाहरी सीमा से 100 मीटर की परिधि के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
25. नियम 42(इ)- भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।
26. नियम 59(2)- इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण व्याज प्रभारित किया जा सकता है:
- प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।
27. शासनादेश दिनांक 17.05.2023 के अनुपालन में Sustainable sand mining management Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for sand mining 2020 के अनुसार पट्टाधारक क्षेत्र के Replenishment study हेतु NABET/QCI Accred Agencies अथवा विभाग द्वारा Empowered Exploration Agencies का चयन करेगा तथा चयनित संस्था से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन स्वयं के व्यय पर Enforcement and monitoring Guidelines for sand mining 2020 के भाग-5 के अनुसार Replenishment study का कार्य करायेगा।
28. नियम 61(2)- खनन पट्टा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में उप नियम-61(1) अथवा नियम-59 के अनुसार अथवा पट्टा अन्तर्गत देय धनराशि जमा न करने पर नियम 59 के अन्तर्गत खनन पट्टा निरस्त करने पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये खनन पट्टा धारक का नाम काली सूची में डाला जा सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उरावले इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमत्य नहीं होगा।
29. नियम 64(2)-आवेदक/पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में खनन पट्टा का प्रार्थना पत्र/विध्वंसित खनन पट्टा उसके विधिवत उत्तराधिकारी के पक्ष में माना जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त आदेश जारी किया जायेगा।



(अजित कुमार पाण्डेय)
खान अधिकारी
कौशाम्बी

(अरुण कुमार मोड)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कौशाम्बी


जिलाधिकारी
कौशाम्बी

30. तृतीय अनुसूची के प्रपत्र एम0एम0-11/अ-एम0एम0-11 परिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 में खनिज की मात्रा के साथ खनिमुख मूल्य को भी अंकित करना अनिवार्य किया गया है।
31. नियमावली, 2021 के नियम-30ख के अधीन खनन पट्टा समर्पण करते समय, पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृत अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
32. जिलाधिकारी द्वारा अन्य शर्तें जो भी उचित समझे भविष्य में समय समय पर लागू किया जाता है तो पट्टाधारक को नियमानुसार उसका पालन करना होगा।

स्टाम्प शुल्क :-

स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनों के लिये पट्टाअन्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व/प्रतिभूति ₹0-35,66,500/- (₹0-पैंतीस लाख अरसठ हजार पांच सौ मात्र) दिनांक 30.01.2025 को ई-स्टाम्प पेपर के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में अदा किया गया है।

इसके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतदधीन आयी हुयी रीति के ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से-


1.  (अजित कुमार पाण्डेय)
2.  खान अधिकारी
कौशाम्बी
3.  (अरुण कुमार गोड)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कौशाम्बी



की उपस्थिति में द्वारा हस्ताक्षरित।

1. प्रावेदमाली पुत्र सावित्रामाली वि सुशारकर
सेमि सिलभू कौशाम्बी
 2. पवन कुमार उग्रवाल पुत्र गुरारी लाल
वि० 15/11 एमडी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयाग (15)
- की उपस्थिति में पट्टाधारक द्वारा हस्ताक्षरित।




जिलाधिकारी
कौशाम्बी



आवेदन सं०: 202500887003311

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3673 के पृष्ठ 345 से 362 तक क्रमांक 2640 पर
दिनांक 06/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



लाल चन्द्र प्र०
उप निबंधक : चायल
कौशांबी
06/05/2025



प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA),

गोमती नगर, लखनऊ।

दिनांक: 09/04/2025

पत्रांक: 40 / खनन सहायक कौ०

विषय: जनपद कौशाम्बी के अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों के Replenishment Study रिपोर्ट को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि SEIAA UP की दृष्टि में जनपद कौशाम्बी के नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, बालू/मोरम के 42 खनन क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन दिनांक 08.11.2024 को किया गया है। स्वीकृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित क्षेत्रों के Replenishment Study रिपोर्ट को SEIAA UP के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

अतः जनपद कौशाम्बी के नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, बालू/मोरम के 42 खनन क्षेत्रों की Replenishment Study रिपोर्ट संलग्न कर अनुरोध के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भूतदीय



09/04/25

(अरुण कुमार गोड)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
कौशाम्बी।



पत्रांक: 46-2/खनन सहायक कौ०

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कौशाम्बी।



अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
कौशाम्बी।




513
Replenishment of RBOD of Mines of District Kaushambi,
Uttar Pradesh

Replenishment Survey Report Year 2023

Prepared by
Department of Mines
Office of District Magistrate
District Kaushambi, UP


जान अधिकारी
काशाम्बी

In Compliance of the recommendations made under EIA Notification SO: 1533 dated 24th September 2006, SSAMG 2016,
EMGSM 2020 and Hon'ble NGT's Order dated 06th May 2022

Preface

On January 15th 2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India issued a notification and in which Para 7(iii) (a) and Annexure X purpose and structure of District Survey Report has been mentioned as an essential procedure prior to call for bid for the mining lease allotment. As per the notification, District Survey Report (DSR) should be prepared in every district for each minor mineral by the regional administrative authorities of state. The District Survey Report should guide systematic and scientific utilization of natural resources, so that the sustainable practices along with guaranteed assurance for the mutual benefits of present as well as future generations could be achieved. The purpose of District Survey report (DSR) "Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area". The District Survey report (DSR) shall contain the data published and endorsed by various departments and websites about Geology of the area. Mineral wealth details of rivers, details of leases and mining activity in the district along with sand mining and revenue of minerals. The report shall also contain details of Forest, Rivers, Soil, Agriculture, Road, Transportation and climate etc. MoEF&CC further through a notification dated 25-July-2018 gave detailed guidelines regarding preparation of DSR.

Further, MoEF&CC has issued two Guidelines Sustainable Sand Mining Management Guidelines-2016 (SSMMG-2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) and guided that EMGSM-2020 and SSMMG-2016 shall be read and implemented in sync with each other. In case, any ambiguity or variation between the provisions of both these documents arises, the provision made in "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020" shall prevail.

Jhansi district is rich in mar and kabir (morrum) along with the stones which is used in building construction. Huge variety of minerals is present in the district including granite, coarse sand, ordinary earth, and brick clay. The present report is study of sand/morrum mineral occurrence in the district.



1.0 Introduction

Kaushambi district was carved out of Allahabad (Prayagraj) and lies between 25°12'31" and 25°47'45" north latitude and 80°09'00" and 81°49'00" E longitude in survey of India toposheet 63G. Total geographical area of the district is 1780 Sq. Km. District headquarter is at Manjhanpur having three (3) tehsils viz., Kaushambi, Srathu and Chail and 8 blocks. Geographically the area comprises Quaternary alluvium sediments heterogeneous in nature are deposited over the concealed basement of Vindhyan Sandstone and shale of varying thickness. The main and major drainage of the district belong to the Ganga river system of which river Yamuna and Sasur Khadai are tributaries,



Figure 1.0 District Map of Kaushambi, Uttar Pradesh along with the course of rivers

Physiographically the area can be divided into two units-

- (1) Trans Ganga lies to the north of Ganga River.
- (2) Doab Yamuna which lies between Ganga on the north and Yamuna on the south.

Kaushambi district is drained by Ganga river system of which Yamuna, Kithahi nadi and Sasur Khadal are tributaries. The Ganga enters the district through Kara block whereas Yamuna first touches the district in the extreme west at Sarsawan block and flows over a length of 80 Km before joining Ganga.

[Handwritten signatures and initials]

Agriculture is the main source of economy other than the mining of river born minerals from river bed.

2.0 Geology and Geomorphology of District

The district is characterized by mainly five geomorphic units i) flood plain ii) Younger alluvial plain iii) older alluvial plain iv) alluvial plain with salt encrustation and v) Ravenous land. The master slope of the area is mainly towards east.

The Geological setup of the district comprises of rocks of vindhyan super group and Quaternary sediments classified into older and newer Alluvial. The vindhyan super group is represented by Kaimur group of rocks consisting of shale and sandstone; the rocks are generally undisturbed deposited with very shallow dips of 2° to 5° towards south.

The Geological succession is as follows:

Group/Formation	Lithology	Age
Quaternary Newer Alluvial	Sequences of clay and fine sand with silt	Holocene
Older Alluvium	Alternate sequence of silt, clay and sand with Kankar	Early to late Pleistocene
Vindhyan Super Group	Rewa Group Shale and Sand stone Kaimur Group Quartzite	Meso to Neo Proterozoic




Figure 1.0 Geomorphological Map of District Kaushambi UP

(Handwritten signatures and marks)




Figure 1.0 Geological Map of District Kaushambi, UP

Geomorphology

The district is characterized by mainly five geomorphic units i) Flood plain ii) Younger Alluvial plain iii) Older Alluvial plain iv) Alluvial plain with salt encrustation and v) Ravenous land. The master slope of the area is mainly towards east.

Flood plain: The Yamuna river channel and its adjacent area forming terraces which are subjected to periodic flooding, consisting of sand, silt and silty sand with minor clays, form the flood plain of river. This is a narrow zone along the river channel and gets flooded regularly during rainy season.

Yonger Alluvial Plain: The area occupied by younger alluvium can be delineated all along Ganga river and other tributary streams draining the district. The younger alluvium is confined.


Older Alluvial Plain: The older alluvium occupies the entire upland or interfluvial area occurring between the major drainages i.e., Sasur Khaderi and Kilnahi nadi comprising of sands of different grades, silt and clay.

[Handwritten signatures and initials]

Alluvial Plain with salt Encrustations: Alluvial Plain with salt encrustations has been observed in patches in Bara and Jasra blocks of erstwhile district of Allahabad. **Ravenous Land:** Small narrow depressions; smaller than gully usually carved by running water have also been observed along rivers and rivulets.

3.0 Rainfall and Climate

Normal average rainfall in the district is 864 mm however; the average annual rainfall in 2020-21 was 914 mm. The rainfall in the districts occurs in monsoon season. About 88% of the annual rainfall is received from the south west monsoon. The monsoon season occurs from the third week of June to the first week of October. The



climate of the Kaushambi district is typical sub humid punctuated by long and intense summer and mild winters.

May is the hottest month with temperature shooting up to 44.8°C. The relative humidity is highest during south-west monsoon ranging between 80% to 85% with its lowest around 30% during peak summer months of April and May.

4.0 Rivers of the District

Kaushambi District in Uttar Pradesh is situated between the Ganga and Yamuna rivers, with the Yamuna flowing through the district's western side and the Ganga entering through the Kara block.

Ganga and Yamuna:

[Handwritten signatures and notes]

These are the two main rivers that define the district's geography and are crucial for agriculture.

Yamuna's Flow:

The Yamuna touches Kaushambi in the extreme west at Sarsawan block and flows for about 80 km before joining the Ganga.

Ganga's Entry:

The Ganga enters the district through the Kara block.

Tributaries:

Kilhahi nadi and Sasur Khadal are tributaries of the Ganga river system in Kaushambi district

Manjhanpur:


The district headquarters, Manjhanpur, is situated on the north bank of the Yamuna River, about 55 km southwest of Allahabad.

5.0 Land Use Pattern of District

Area of the district is plain or rolling with interspersed hills and ridges not exceeding 183 m in elevation from ground level. However, the slope is towards north and as very high.

Table 1.0 Land Use and Land Cover Details of the District

S.No	Classes	Area Sq. Km
1	Built up	12185.65242
2	Kharif crop	20015.52314
3	Rabi crop	24423.80774
4	Zaid crop	79.412928
5	Double / Triple Crop	122316.7003
6	Current fallow	8803.20672
7	Plantation	6464.741696
8	Evergreen forest	2.881984
9	Deciduous forest	10722.12826
10	Degraded / Scrub Forest	2500.92864
11	Littoral swamp	24.833934
12	Grassland	219.585856
13	Shifting cultivation	0
14	Wasteland	14103.39795
15	Rann	0
16	Waterbodies max	7173.832064
17	Waterbodies min	3162.100928
18	Snow cover	0



6.0 Replenishment Study and its need

Continuous scientific extraction of riverbed material is required to avoid natural diversion of the river stream. Governments of states in India allot leases to the competent person to remove and sale the valuable riverbed material as construction material therefore a monitoring of the sustainable removal was felt necessary by the Central Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi. MOEF&CC notified vide its EIA notification SO: 1533 dated 14th Sep. 2006, made it clear that proponent should carry a replenishment study post-monsoon to ensure the sustainable mining on the riverbed. Despite having the legal compulsions the replenishment study was not so common to conduct. Recently Hon'ble NGT New Delhi vide it's order dated 06th May 2022 further made it mandatory to suspend the mining processes without having mineral replenishment study strictly done in accordance with the SSMMG 2016 and EMGSM 2020. Thus it has become a responsibility of district administration to monitor, whether how much mineral every year is being replenished after the rainy season to ensure the sustainable mining of riverbed material.

7.0 General Methodology of the Replenishment Study:

Field Study must be conducted by the team of experts consisting of Geologists, Hydro-geologist, environmentalist, GIS experts, and Surveyors Total Station, Drone.

(Handwritten signatures and initials)

GIS & levelling, Stave, High Resolution GPS Interfaced Camera, Measuring Tape and a Water Boat are some of the common tools that are required for a comprehensive study. The entire study is completed in two consecutive seasons viz., Pre-monsoon Survey and Post-monsoon Survey. The investigation moves directly to the thickness of the overburden (if any) and the mineral of interest, helping in the calculation of workable & mineable area, stripping ratio of a mining lease area, and finally calculation of available minable reserves of mineral whereas Environmental experts watch and measure the extent of compliances of the conditions mentioned as per SSMMG 2016 in the legal documents provided by the district/state/central authorities to the lease holder/miners. The collective report is prepared as a fulfilment of the required data for replenishment study as per EMGSM 2020 and in compliance of the conditions made under the NGT order dated 06th May 2022.

8.0 Brief of SSMMG-2016 & EMGSM-2020 Guidelines

Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 (EMGSM 2020) and Sustainable Sand Mining and Management Guidelines 2016 (SSMMG 2016) are some of the excellent documents provided for everyone to follow the rules and regulations laid by the authorities in India. Active sand mining often get stuck in many issues like availability of minerals, inundation of mining lease, over mining, and environmentally non-sustainable mining practices, SSMMG 2016 provide solution to the issue of how to practice sustainable mining? EMGSM 2020 provides an authentic way to measure the magnitude of earlier mining and futuristic potential of mining on a particular mining lease. A brief description in context with the Uttar Pradesh of SSMMG 2016 is given below:

Objectives:

- Uncontrolled sand mining is not sustainable.
- Compliance with present and future legislation and regulations on the subject is mandatory and not voluntary.
- Each lease holder should be given the opportunity to self-regulate to the extent that it can demonstrate compliance with legislation and regulations.
- Where self-regulation fails to deliver compliance with legislation and regulations, increased formal enforcement and monitoring should be implemented with punitive measures applied in line with the legal framework.
- There is a need to protect the environment and the right of the population to live in clean and safe surroundings, with the need to use natural resources in a way that

[Handwritten signatures and initials]

will make a positive and sustainable contribution to the economy.

Main objectives of the Guidelines

- To ensure that sand and gravel mining is done in environmentally sustainable and socially responsible manner.
- To ensure availability of adequate quantity of aggregate in sustainable manner.
- To improve the effectiveness of monitoring of mining, and transportation of mined out material.
- Ensure conservation of the river equilibrium and its natural environment by protection and restoration of the ecological system.
- Avoid aggradation at the downstream reach especially those with hydraulic structures such as jetties, water intakes etc.
- Ensure that the rivers are protected from bank and bed erosion beyond its stable profile.
- No obstruction to the river flow, water transport and restoring the riparian rights and in-stream habitats.
- Avoid pollution of river water leading to water quality deterioration.
- To prevent depletion of ground water reserves due to excessive draining out of ground water.
- To prevent ground water pollution by prohibiting sand mining on fissures where it works as filter prior to ground water recharge.
- To maintain the river equilibrium with the application of sediment transport principles in determining the locations, period and quantity to be extracted.
- Streamlining and simplifying the process for grant of environmental clearance (EC) for sustainable mining.
- "Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016" issued by MoEF&CC requires preparation of District Survey Report (DSR), which is an important initial step before grant of mining lease/LoI. The guidelines emphasize detailed procedure to be followed for the purpose of identification of areas of aggradation/deposition where mining can be allowed and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installation where mining should be prohibited.

Objectives of EMGSM 2020

- The Ministry of Environment Forest & Climate Change formulated the Sustainable Sand Management Guidelines 2016 which focuses on the Management of Sand Mining in the Country. It was observed that apart from management and systematic mining

practices there was an urgent need to have a guideline for effective enforcement of regulatory provision and their monitoring,

- This document is supplemental to the existing "Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016" (SSMG-2016), and these two guidelines viz. "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining," (EMGSM-2020) and SSMG-2016 shall be read and implemented in sync with each other. In case, any ambiguity or variation between the provision of both these document arises, the provision made in "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020" shall prevail.
- All districts to prepare a comprehensive mining plan for the district as per the provision of District Survey Report. These reports shall be put on the website of District Administration.
 - No mining shall be allowed in the area which has not been identified in the comprehensive mining plan of the District.
 - Replenishment study should be conducted on regular basis.
 - All potential rivers mining zone/area shall be identified and put for auction with proper geo-tagged details by the auctioning authority concerned.
 - The latitude and longitude of each mining lease shall be clearly mentioned in Letter of Intent issued to the potential mine lease. Such information shall be provided on the website of the district administration.
 - The provision of these guidelines shall be considered while identifying the potential stretches /locations and boundaries of the leases for the minable area.
 - The Lol holder shall seek Environmental Clearance as per the provision of EIA Notification, and the regulatory authority shall ensure that the provision suggested in "Sustainable Sand Mining & Management 2016" and in this documents, as applicable are part of the clearance conditions.
 - There shall be no river bed mining operation allowed in monsoon period. The period as defined by IMD Nagpur for each state shall be adhered with.
 - The monitoring Infrastructures including weighbridge and adequate fencing of the lease area, CCTV, Transport permits, etc, as suggested in this document shall be ensured in order to reduce unrecorded dispatch.
 - Regular monitoring of mined minerals and its transportation and storage shall be ensured and all information shall be captured at centralized database so that easy tracking of illegal material can be done.

[Handwritten signatures and initials]

- o Annual audit of each mining lease shall be carried out wherein three independent member of repute, nominated by District administration shall also participate

9.0 Gist of UP State Mining Policy

In Uttar Pradesh, the minor mineral rules applicable in the state are Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules 1963 and the responsibility of minor mineral sand is with the Directorate of Geology & Mining, UP. On the 14th June 2017, a new "Mineral Policy 2017" was notified which mandates the E-tendering cum E-Auctioning of all minerals in the state with following key objectives:


1. Mining of Mineral shall be made more Sustainable for Environment and as well as for the social causes.
2. Conservation of the Mineral shall be ensured.
3. To enhance the revenue share of State of UP from 1.85% to 3.0% obtained from mining of minerals in the state.
4. To stop the illegal mining activities in the state and to bring the culprits into the justice.
5. To increase employment opportunities in the Mining Sector.
6. To encourage the healthy and clean competition among the mining Industries.
7. To increase the development of the scientific knowledge regarding minerals to ensure proper knowledge based on scientific and sustainable techniques of mining to the people.
8. To provide Mineral related data and information to the interested industrialist/miners.
9. To encourage the investment of the private capital in to the Mining sector to develop mining sector.
10. To speed-up the exploration of new mineral through modern mineral exploration investigation techniques for the development of mining sector in the state
11. To ensure the transparency among the lease allocation through e-tendering cum e-auctioning and to develop corruption free, simple and understandable working as per laws of State Government.
12. To take care of welfare of the affected people from the mining activity as well as the society. The Mining Policy 2017 of UP government guarantees the mining lease holders to provide a hassle free environment as per the initiative of Central Government under Ease of Doing Business Initiative. Despite a lot of efforts, issues such as illegal mining, environmental damage, high sand prices and quality of mineral that are interlinked with

each other are prevalent across many states. Moreover, the SSMMG 2016 guideline proved to be the best document to control the mineral quantity related issue whereas EMGSM 2020 provide a comprehensive method to control the illegal mining, and the related issues. The district authorities of states need to update the mapping of the resources by upgrading, the DSR including, the replenishment study to have outputs of annual deposition rates of sand from a river, deposition stretch of the rivers, total resources available in the state for sand. Additionally, very recently Hon'ble NGT issued an order dated 6th May 2022 which made the replenishment study of the leases mandatory specifically for the UP state. The Order of NGT has also ascribed a simple method to undertake such studies.

Moreover, the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi vide its notification SO: 1533 dated 14th Sep. 2006, made it clear that proponent should carry a replenishment study post-monsoon to ensure the sustainable mining, on the riverbed. Despite having, the legal compulsions the replenishment study was not so common to conduct. Recently Hon'ble NGT New Delhi vide it's order dated 06th May 2022 made it mandatory to suspend the mining, processes without having mineral replenishment study strictly done in accordance with the SSMMG 2016 and EMGSM 2020.

10.0 Mining activities and leases In the District Kaushambi

There are total of 42 existing/proposed riverbed sand/morrum mining leases in the district. Out of these 42 mining leases, 40 leases are located on the riverbed of River Yamuna, 02 leases are on the riverbed of Ganga. All these leases are on government revenue land.



[Handwritten signatures and initials]

Table 2.0 Details of the existing/proposed riverbed mining leases

Sl. No.	Riverbed	Details Mine Lease	Pillar	Latitude	Longitude
1.	Yamuna	Gata No. 021a (Khand No. 16/20 to 16/22) village Jamunapur, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi UP (Area 160 Ha.)	A	25°25'33.59"N	81°43'24.3"E
			B	25°25'21.87"N	81°42'24.46"E
			C	25°25'27.38"N	81°41'13.27"E
			D	25°25'41.14"N	81°42'23.86"E
2.	Yamuna	Gata No. 021a (Khand 16/16 to 16/17) village Jamunapur, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 120 Ha.)	A	25°25'13.50"N	81°42'20.87"E
			B	25°25'4.94"N	81°41'16.37"E
			C	25°25'10.40"N	81°42'3.48"E
			D	25°25'19.53"N	81°42'8.51"E
3.	Yamuna	Gata No. 459a (Khand No. 15/43 to 15/44) Village Naubasla Kachar, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 9.0 Ha.)	A	25°23'22.41"N	81°42'41.48"E
			B	25°23'8.76"N	81°42'57.79"E
			C	25°23'5.64"N	81°42'54.33"E
			D	25°23'18.90"N	81°42'34.50"E
4.	Yamuna	Gata No. 275a2a, 275a2a2a2a (Khand No. 15/41 to 15/42) village Umarwan Kachar, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 9.0 Ha.)	A	25°23'8.76"N	81°42'57.79"E
			B	25°22'54.83"N	81°42'10.1578"E
			C	25°22'51.36"N	81°42'10.13.10"E
			D	25°23'5.64"N	81°42'54.33"E
5.	Yamuna	Gata No. 216a, 216a2, 216a217a, 217a217z (Khand No. 14/51 to 14/6), Village Kauri, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 14.0 Ha.)	A	25°19'58.50"N	81°16'12.86"E
			B	25°19'59.55"N	81°16'21.33"E
			C	25°19'46.61"N	81°16'28.48"E
			D	25°19'42.83"N	81°16'15.82"E
6.	Yamuna	Gata No. 2163, 2164, 2165, 2167, 2168, 2169, 2170 (Khand No. 14/3 to 14/4), village Kauri Tehsil Manjhanpur, UP (Area 12.50 Ha.)	A	25°19'59.55"N	81°16'21.34"E
			B	25°20'3.99"N	81°16'33.59"E
			C	25°19'59.85"N	81°16'38.09"E
			D	25°19'46.61"N	81°16'28.48"E
7.	Yamuna	Gata No. 55 Kha (Khand No. 13/18 to 13/19), Village Badhari, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 10.0 Ha.)	A	25°20'41.68"N	81°17'56.06"E
			B	25°20'43.30"N	81°18'4.70"E
			C	25°20'29.15"N	81°18'6.67"E
			D	25°20'27.48"N	81°17'59.32"E

16	Yamuna	10/17 to 10/18) village Kalaya, Tehsil Chail, UP (Area 18.01 Ha.)	B	25°16'37.19"N	81°30'23.20"E
			C	25°16'14.62"N	81°30'27.43"E
			D	25°16'12.96"N	81°30'18.11"E
			A	25°17'14.51"N	81°31'57.09"E
17	Yamuna	Gala No. 389, 390, 391, 392, 395 (Khand No. 9/25 to 9/26) village Mohammaddabad (Kawal ka Purva) Tehsil Chail UP (Area 16.0 Ha.)	B	25°17'22.76"N	81°32'10.71"E
			C	25°17'13.72"N	81°32'18.24"E
			D	25°17'4.08"N	81°32'4.98"E
			A	25°17'35.51"N	81°32'31.88"E
18	Yamuna	Gala No. 466, 467, 472, 473 (Khand No. 9/20 to 9/21) village Yusufpur Taluka Purkhua (Nanda Ka Purva) Tehsil Chail, UP (Area 14.0 Ha.)	B	25°17'43.30"N	81°32'45.57"E
			C	25°17'35.16"N	81°32'51.78"E
			D	25°17'27.37"N	81°32'38.07"E
			A	25°18'3.59"N	81°33'17.96"E
19	Yamuna	Gala No. 322, 363 (Khand No. 9/12 to 9/14) village Umarwal Tehsil Chail, UP (Area 10.75 Ha.)	B	25°18'14.62"N	81°33'34.62"E
			C	25°18'9.54"N	81°33'38.59"E
			D	25°17'58.75"N	81°33'21.66"E
			A	25°19'43.57"N	81°35'25.60"E
20	Ganga	Gala No. 2978 (Khand No. 8/3 to 8/4) village Tilhapur, Tehsil Chail, UP (Area 19.50 Ha.)	B	25°20'7.82"N	81°35'58.71"E
			C	25°20'3.41"N	81°36'2.05"E
			D	25°19'39.33"N	81°35'29.12"E
			A	25°36'23.03"N	81°31'52.72"E
21	Ganga	Gala No. 43Ka M1 & 44, village Kohraji Kachhar, Tehsil Sirathu, UP (Area 10.0 Ha.)	B	25°36'27.91"N	81°31'59.99"E
			C	25°36'18.48"N	81°32'7.97"E
			D	25°36'12.35"N	81°32'2.36"E
			A	25°40'27.14"N	81°24'46.83"E
22	Yamuna	Gala No. 885na1, 886T4, 888T4, village Rampur Badhanwa Kachhar, Tehsil Sirathu, UP (Area 8.0 Ha.)	B	25°40'18.33"N	81°25'2.89"E
			C	25°40'14.43"N	81°24'59.84"E
			D	25°40'22.15"N	81°24'43.02"E
			A	25°20'37.51"N	81°18'5.51"E
23	Yamuna	Gala No. 55 Kha, (Khand No. 13/15 to 13/17), village Badhari Kachhar, Tehsil Manhanpur, Kaushambi, UP (Area 11.0 Ha.)	B	25°20'42.70"N	81°18'18.62"E
			C	25°20'35.43"N	81°18'21.83"E
			D	25°20'29.27"N	81°18'6.62"E
			A	25°20'37.51"N	81°18'5.51"E

21.	Yamuna	Gata No. 01 (Khand No. 16/11 to 16/14) village Ram Nagar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 25.0 Ha.)	A	25°21'51.30"N	81°9'14.24"E
			B	25°24'36.65"N	81°9'10.24"E
			C	25°24'38.84"N	81°8'56.32"E
			D	25°24'58.56"N	81°8'56.85"E
21.	Yamuna	Gata No. 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659 (Khand No. 10/10 to 10/13) village Kalaiya, Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 20.0 Ha.)	A	25°16'41.27"N	81°30'42.04"E
			B	25°16'47.36"N	81°30'58.78"E
			C	25°16'35.39"N	81°31'4.26"E
			D	25°16'28.99"N	81°30'46.59"E
25.	Yamuna	Gata No. 373, 375, 376, 390, 395 (Khand No. 9/27 to 9/29), village Mohammadabad (Keval ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 21.50 Ha.)	A	25°17'1.50"N	81°31'39.84"E
			B	25°17'14.46"N	81°31'57.00"E
			C	25°17'4.08"N	81°32'4.98"E
			D	25°16'53.70"N	81°31'50.40"E
26.	Yamuna	Gata No. 635, 637, 638, 639, 640, 641, (Khand No. 10/19 to 10/21), village Kalaiya, Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 10.0 Ha.)	A	25°16'23.03"N	81°30'2.99"E
			B	25°16'24.23"N	81°30'16.20"E
			C	25°16'16.00"N	81°30'17.55"E
			D	25°16'14.46"N	81°30'3.72"E
27.	Yamuna	(Khand No. 16/23 to 16/25), village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 16.50 Ha.)	A	25°25'49.20"N	81°9'34.42"E
			B	25°25'39.90"N	81°9'45.35"E
			C	25°25'30.52"N	81°9'36.13"E
			D	25°25'40.38"N	81°9'24.70"E
28.	Yamuna	Gata No. 1Kha, 2jha, (Khand No. 16/4 to 16/6), village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 10.0 Ha.)	A	25°23'55.74"N	81°9'7.85"E
			B	25°23'57.56"N	81°9'17.30"E
			C	25°24'9.53"N	81°9'14.19"E
			D	25°24'8.37"N	81°9'5.10"E
29.	Yamuna	Gata No. 389, 130 (Khand No. 15/19 to 15/22) village Bhavansuri Kachhar & Dorma Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 17.0 Ha.)	A	25°22'7.27"N	81°12'23.91"E
			B	25°22'2.49"N	81°12'43.35"E
			C	25°21'52.62"N	81°12'39.86"E
			D	25°21'57.26"N	81°12'20.81"E
30.	Yamuna	Gata No. 120, 397 (Khand No. 15/26 to 15/29) village Dorma Kachhar & Shajpur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	A	25°22'16.65"N	81°11'44.86"E
			B	25°22'10.85"N	81°12'8.48"E
			C	25°22'1.72"N	81°12'5.08"E

REPLENISHMENT REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023

530

31.	Yamuna	Gata No. 1kha, 2gha, (Khand No. 16/7 to 16/9), village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP (Area 10.0 Ha.)	D	25°22'7.93"N	81°11'40.26"E
			A	25°24'21.40"N	81°9'12.50"E
			B	25°24'9.50"N	81°9'14.20"E
			C	25°24'8.40"N	81°9'5.10"E
32.	Yamuna	Gata No. 424, 426, 427, 428, 429, 430, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, (Khand No. 10/3 to 10/6), Village Yusufpur Urf Malhipur, Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 20.0 Ha.)	D	25°24'22.10"N	81°9'3.50"E
			A	25°16'52.22"N	81°31'10.40"E
			B	25°17'0.21"N	81°31'27.88"E
			C	25°16'53.99"N	81°31'34.92"E
33.	Yamuna	Gata No. 2978 (Khand No. 8/6 to 8/7), Village Tilhapur (Maharaniya Ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 15.0 Ha.)	D	25°16'41.91"N	81°31'17.04"E
			A	25°18'59.64"N	81°34'38.01"E
			B	25°19'23.58"N	81°35'6.66"E
			C	25°19'23.70"N	81°35'9.90"E
34.	Yamuna	Khand No. 9/18 to 9/19, Village Yusufpur Taluka Purkhas (Nanda Ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Reserved for UPIDA) (Area 24.28 Ha.)	D	25°18'55.68"N	81°34'42.60"E
			A	25°17'30.62"N	81°32'20.97"E
			B	25°17'40.34"N	81°32'37.80"E
			C	25°17'30.66"N	81°32'44.34"E
35.	Yamuna	Gata No. 64ka, 65, (Khand No. 11/52 to 11/58), Village Dhana Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 19.0 Ha.)	D	25°17'20.92"N	81°32'27.20"E
			A	25°16'24.80"N	81°24'44.70"E
			B	25°16'23.00"N	81°25'20.60"E
			C	25°16'16.60"N	81°25'18.90"E
36.	Yamuna	Gata No. 279Ka Ta, 279 Ka Tha, 280, 396, 397, (Khand No. 15/35 to 15/39), Village Umrawan Kachhar & Shahpur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 10.0 Ha.)	D	25°16'18.30"N	81°24'45.00"E
			A	25°22'51.10"N	81°10'21.20"E
			B	25°22'36.90"N	81°10'53.00"E
			C	25°22'33.90"N	81°10'51.80"E
37.	Yamuna	Gata No. 49Kha, (Khand No. 11/37 to 11/39), Village Engwa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 16.0 Ha.)	D	25°22'48.00"N	81°10'19.70"E
			A	25°16'21.48"N	81°26'13.32"E
			B	25°16'17.58"N	81°26'24.12"E
			C	25°16'0.90"N	81°26'20.46"E
38.	Yamuna	Gata No. 22khi, (Khand No. 10/30 to 10/34), Village	D	25°16'4.80"N	81°26'10.50"E
			A	25°16'19.92"N	81°28'59.04"E

ASSIGNMENT REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023

39.	Yamuna	Bhakhanda Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 21.50 Ha.)	B	25°16'21.84"N	81°29'23.70"E
			C	25°16'11.88"N	81°29'24.12"E
			D	25°16'9.42"N	81°28'58.68"E
			A	25°19'59.28"N	81°16'0.96"E
40.	Yamuna	Gata No. 2152, 2153, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2172, 2173, 2174, (Khand No. 14/7 to 14/10), Village Katri, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 17.0 Ha.)	B	25°19'58.50"N	81°16'12.84"E
			C	25°19'45.30"N	81°16'15.66"E
			D	25°19'46.62"N	81°15'58.98"E
			A	25°25'12.12"N	81°9'23.76"E
41.	Yamuna	Gata No. 1, 2Ka, (Khand No. 16/18 to 16/19), Village Jamunapur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP (Area 24.28 Ha.)	B	25°25'19.80"N	81°9'28.68"E
			C	25°25'32.76"N	81°9'23.44"E
			D	25°25'24.36"N	81°8'58.80"E
			A	25°18'30.49"N	81°34'7.22"E
42.	Yamuna	(Khand NO. 9/3 to 9/4), Village Piprahala, Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 16.0 Ha.)	B	25°18'48.83"N	81°34'19.50"E
			C	25°18'39.49"N	81°34'26.64"E
			D	25°18'29.63"N	81°34'15.79"E
			A	25°18'15.96"N	81°33'39.03"E
		(Khand NO. 9/8 to 9/10), Village Unarwal, Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Area 18.0 Ha.)	B	25°18'25.48"N	81°33'52.36"E
			C	25°18'15.78"N	81°34'0.57"E
			D	25°18'6.14"N	81°33'47.12"E
			A		

531

Table 3.0 Details of the existing/proposed riverbed mining leases with the total replenished quantity in 2023

Sl. No.	Details of Lease	RL recorded (Max. to Min.) (Premonsoon)	RL recorded (Max. to Min.) Postmonsoon	Area in Sq. M.	Available sustainable Depth of Mining	Total Reserve mineral (round off) including the Replenished volume of mineral on the riverbed
1.	Gate No. 02Ka (Khand No. 16/20 to 16/22) village Jamunapur, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi UP	86.521 to 85.501	87.001 to 85.991	160000	1.01m	160000 cubic meter/288000 MT
2.	Gate No. 02Ka (Khand 16/16 to 16/17), village Jamunapur, Tehsil Manjhanpur, UP	85.941 to 84.931	86.228 to 85.218	120000	1.01m	120000 cubic meter/216000 MT
3.	Gate No. 48Ca, 49Ca (Khand No. 15/43 to 15/44), Village Naubusla Kachar, Tehsil Manjhanpur, UP	84.442 to 83.642	86.102 to 85.001	90000	1.0 m	90000 cubic meter/162000 MT
4.	Gate No. 279a, 279a the 28a, (Khand No. 15/41 to 15/42), village Umrawan Kachar, Tehsil Manjhanpur, UP	83.612 to 83.032	84.247 to 83.237	90000	1.01 m	90000 cubic meter/162000 MT
5.	Gate No. 216a, 216a, 216a, 217a, 217a (Khand No. 14/5 to 14/6), Village Kauri, Tehsil Manjhanpur, UP	76.269 to 75.649	77.028 to 75.928	140000	1.1 m	140000 cubic meter/252000 MT
6.	Gate No. 216a, 216a, 216a, 216a, 216a, 216a, 217a (Khand No. 14/3 to 14/4), village Kauri Tehsil Manjhanpur, UP	76.388 to 75.548	77.391 to 76.371	125000	1.02 m	125000 cubic meter/225000 MT

532

APPRECIATION REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023

533

7.	Gata No. 55 Klu (Khand No. 13/18 to 13/19), Village Bakhur, Tehsil Manjhanpur, UP	76.269 to 75.319	77.820 to 76.810	100000	1.01 m	100000 cubic meter/180000 MT
8.	Gata No. 49Klu & 50 (Khand No. 11/45 to 11/47), Village Egwan Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	76.528 to 75.528	76.498 to 75.468	180000	1.03 m	180000 cubic meter/324000 MT
9.	Gata No. 49Klu, 50, 64Klu, 65 (Khand No. 11/49 to 11/51), Village Egwan Kachhar & Dhama Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	78.830 to 78.179	78.911 to 77.910	170000	1.00 m	170000 cubic meter/306000 MT
10.	Gata No. 54Klu, 55, 64Klu, 65 (Khand No. 11/59 to 11/61) village Mahila Kachhar & Dhama Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	78.671 to 78.051	78.256 to 77.251	140000	1.00 m	140000 cubic meter/252000 MT
11.	Gata No. 01 Mli & 05 (Khand No. 11/3 to 11/6) village Dya Kachhar Tehsil Manjhanpur, UP	75.936 to 75.536	76.710 to 75.701	200000	1.00 m	200000 cubic meter/360000 MT
12.	Gata No. 01 Mli, 2, 3, 4, 5 (Khand No. 11/15 to 11/16) village Dya Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	76.021 to 75.493	75.889 to 74.879	242800	1.01 m	242800 cubic meter/437040 MT
13.	Gata No. 01Mli 2, 5 (Khand No. 11/7 to 11/10) village Dya Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	76.059 to 75.378	77.326 to 76.296	185000	1.03 m	185000 cubic meter/333000 MT
14.	Gata No. 22Mli & 23 (Khand No. 10/36 to 10/40) village Bhakhandu Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	75.686 to 75.440	76.058 to 75.048	155000	1.01 m	155000 cubic meter/279000 MT

REPLENISHMENT REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023

15.	Gala No. 10/17 to 10/18) village Kalahya (Khand No. 10/17 to 10/18) village Kalahya Tehsil Chail UP	78.009 to 77.425	77.578 to 76.558	180000	1.02 m	180000 cubic meter/324000 MT
16.	Gala No. 389, 391, 392, 395 (Khand No. 9/25 to 9/26) village Mohammadabad (Kewal Ka Purva), Tehsil Chail UP	76.845 to 76.262	77.984 to 76.934	160000	1.05 m	160000 cubic meter/288000 MT
17.	Gala No. 466, 467, 472, 473 (Khand No. 9/20 to 9/21) village Yusufpur Taluka Purkhas (Nanda Ka Purva), Tehsil Chail UP	75.463 to 75.226	76.859 to 75.849	140000	1.01m	140000 cubic meter/252000 MT
18.	Gala No. 322, 363 (Khand No. 9/12 to 9/14) village Umarwal, Tehsil Chail UP	81.269 to 81.034	83.041 to 82.031	107500	1.01m	107500 cubic meter/193500 MT
19.	Gala No. 2978 (Khand No. 8/3 to 8/4) village Tilhapur, Tehsil Chail UP	74.231 to 73.806	75.332 to 74.312	195000	1.02m	195000 cubic meter/351000 MT
20.	Gala No. 43Ka Mi & 44, village Kobraj Kachhar, Tehsil Sirathu, UP	105.210 to 105.110	105.248 to 104.148	55000	1.0m	55000 cubic meter/99000 MT
21.	Gala No. 885mi 886Ta, 888Ta, village Rampur Badhawa Kachhar, Tehsil Sirathu, UP	106.871 to 106.451	106.921 to 106.376	99000	(0.545 m ³) 0.445 m	44000 cubic meter/79200 MT
22.	Gala No. 55 Kha, (Khand No. 13/15 to 13/17), village Badhari Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	76.332 to 76.176	76.521 to 75.511	110000	1.01 m	110000 cubic meter/198000 MT

534

23.	Gata No. 01 (Khand No. 16/11 to 16/14) village Ram Nagar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	77.109 to 76.425	77.568 to 76.518	250000	1.02m	250000 cubic meter/450000 MFT
24.	Gata No. 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659 (Khand No. 10/10 to 10/13) village Kataiya, Tehsil Chail, Kaushambi, UP	76.805 to 76.262	77.578 to 76.558	200000	1.02m	165000 cubic meter/297000 MFT
25.	Gata No.373, 375, 376, 390, 395 (Khand No. 9/27 to 9/29), village Mohammadabad (Keval ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP	75.443 to 75.206	76.849 to 76.011	215000	0.83 m*	172000 cubic meter/309600 MFT
26.	Gata No. 635, 637, 638, 639, 640, 641, (Khand No. 10/19 to 10/21), village Kataiya, Tehsil Chail, Kaushambi, UP	77.119 to 76.435	77.258 to 76.508	100000	0.75 m	75000 cubic meter/135000 MFT
27.	(Khand No. 16/23 to 16/25), village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	78.009 to 77.425	77.596 to 76.299	165000	1.297m	214000 cubic meter/385200 MFT
28.	Gata No. 1Kha, 2Jha, (Khand No. 16/4 to 16/6), village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	80.923 to 80.213	81.259 to 80.239	100000	1.02	100000 cubic meter/180000 MFT
29.	Gata No. 389, 120 (Khand No. 15/19 to 15/22) village Bhavansuri Kachhar & Dorma Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	83.542 to 83.410	83.964 to 83.054	170000	0.91m*	153000 cubic meter/275400 MFT
30.	Gata No. 120, 397 (Khand No. 15/26 to 15/29) village Dorma Kachhar & Shahpur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	78.506 to 77.496	78.267 to 77.356	200000	0.911 m	180000 cubic meter/324000 MFT

535

RPLUSHAKUNT REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023


31.	Gata No. 11hu, 2hu, (Khand No. 16/7 to 16/9), Village Mahewa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, UP	82.200 to 81.946	82.440 to 81.690	100000	0.751 m	75000 cubic meter/135000 MT
32.	Gata No. 424, 426, 427, 428, 429, 430, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, (Khand No. 10/3 to 10/6), Village Yusufpur Urf Malhupur, Tehsil Chail, Kaushambi, UP	81.169 to 81.134	83.281 to 82.456	200000	0.825 m	165000 cubic meter/297000 MT
33.	Gata No. 2978 (Khand No. 8/6 to 8/7), Village Tilhapur (Maharaniya Ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP	76.549 to 75.899	77.219 to 75.709	150000	1.51m	225000 cubic meter/405000 MTF
34.	Khand No. 9/18 to 9/19, Village Yusufpur Taluka Purkhas (Nanda Ka Purva), Tehsil Chail, Kaushambi, UP (Reserved for UPIDA)	75.463 to 75.226	76.859 to 75.376	242800	1.483 m	360000 cubic meter/648000 MTF
35.	Gata No. 64ka, 65, (Khand No. 11/52 to 11/58), Village Dhama Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	78.830 to 78.179	78.921 to 78.171	190000	0.75 m	142500 cubic meter/256500 MTF
36.	Gata No. 279/Ka Ta, 279 Ka Thia, 280, 396, 397, (Khand No. 15/35 to 15/39), Village Umarawan Kachhar & Shahpur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	84.442 to 83.642	86.102 to 85.001	100000	1.0 m	100000 cubic meter/180000 MTF
37.	Gata No. 49Kha, (Khand No. 11/37 to 11/39), Village Engwa Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	78.235 to 77.852	79.025 to 77.525	160000	1.5 m	240000 cubic meter/432000 MTF
38.	Gata No. 2241, (Khand No. 10/30 to 10/34), Village Bhakhanda Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	75.686 to 75.440	76.058 to 75.048	215000	1.01m	215000 cubic meter/387000 MTF

ACHIEVEMENT REPORT - DISTRICT KAUSHAMBI, 2023




537

39.	Gala No. 2152, 2153, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2172, 2173, 2174, (Khand No. 14/7 to 14/10), Village Katri, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	76,388 to 75,548	77,437 to 76,135	170000	1.302m	221000 cubic meter/397800 MT
40.	Gala No. 1, 2Ka, (Khand No. 16/18 to 16/19), Village Jamunapur Kachhar, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi, UP	86,521 to 85,501	87,149 to 86,160	242800	0.989 m	240000 cubic meter/432000 MT
41.	(Khand NO. 9/3 to 9/4), Village Piprathata, Tehsil Chail, Kaushambi, UP	79,500 to 78,659	81,027 to 80,277	160000	0.75 m	240000 cubic meter/432000 MT
42.	(Khand NO. 9/8 to 9/10), Village Umarwal, Tehsil Chail, Kaushambi, UP	81,269 to 81,034	83,782 to 82,262	180000	1.5 m	270000 cubic meter/486000 MT

* The mentioned amount is considered as sustainable



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks on the left.

11. Mineral Potential of District Kaushambi, UP

Sl. No.	Boulder	Bajari	Sand	Total Mineable Mineral Potential
1.	Nil	Nil	1,11,21,333 Cubic Meter / 2,00,18,400 MT	66,72,800.333 Cubic Meter / 1,20,11,010 MT



[Handwritten signatures and marks]



धान अधिकारी
काशाम्बी

सन (२०२३)

Handwritten signatures and text in Devanagari script, including the name 'काशाम्बी' (Kaushambi) and other illegible signatures.